कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कथन

प्रिय हितधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से, मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है. यह रिपोर्ट, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उत्तरदायी कारोबार संचालन हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के अनुरूप, हमारे परिचालनों और दीर्घकालिक रणनीति के हर स्तर में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों को एकीकृत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

ईएसजी के विभिन्न मापदंडों पर रिपोर्टिंग की विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालक होते हुए, आपके बैंक का बीआरएसआर एक स्थिरता-केंद्रित संगठन के रूप में इसकी चल रही प्रगति को भी उजागर करती है. पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, हमने बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों अर्थात चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीआरएसआर कोर प्रकटन के बारे में स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए नियुक्त किया है. उनका स्वतंत्र आश्वासन कथन इस वार्षिक रिपोर्ट के बीआरएसआर खंड में शामिल किया गया है जो हमारी स्थिरता रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को अधिक बढ़ाता है. इसके अलावा, अपने हितधारकों को ईएसजी के विभिन्न मापदंडों पर बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में अधिक विस्तृत और आसानी से समझने योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए, हम वार्षिक आधार पर एक ईएसजी डेटाबुक भी प्रकाशित करते हैं. यह डेटाबुक बैंक की प्रमुख ईएसजी मेट्रिक्स और पहल कार्यों के बारे में पारदर्शी और आसानी से समझने वाले ढंग से विस्तृत और बारीक स्तर की जानकारी प्रदान करती है जो पारदर्शी और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है.

बैंक 2023 से एसएंडपी ग्लोबल द्वारा आयोजित कॉरपोरेट संधारणीयता आकलन (सीएसए) में स्वैच्छिक रूप से भाग ले रहा है. यह भागीदारी अंतरराष्ट्रीय ईएसजी मानकों के साथ तालमेल बिठाने के हमारे सक्रिय दृष्टिकोण और पारदर्शी बाहरी मूल्यांकन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. हमें सीएसए में अपने ईएसजी स्कोर में उल्लेखनीय और लगातार सुधार की रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे ईएसजी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हमारे समर्पित प्रयासों को दर्शाता है.

आईडीबीआई बैंक में हम मानते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में मजबूत ईएसजी प्रदर्शन आंतरिक परिचालन से परे संपूर्ण मूल्य शृंखला तक विस्तारित होना चाहिए. आने वाले वर्षों में, हम अपने वित्तपोषण निर्णयों, आपूर्तिकर्ता संबंधों और साझेदार जुड़ावों में ईएसजी मापदंडों का आकलन और एकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ईएसजी मानदंडों को अपनी मूल्य शृंखला में शामिल करके, हमारा उद्देश्य जिम्मेदार उधार को बढ़ावा देना, स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और दीर्घकालिक जोखिमों को कम करना है. यह दृष्टिकोण हितधारकों की अपेक्षाओं और विनियामक अनुपालन के साथ संरेखित करते हुए सतत विकास के उत्प्रेरक के रूप में हमारी भूमिका को मजबूत करता है.

ईएसजी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के सम्मान में, अक्टूबर 2024 में आईडीबीआई बैंक को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) द्वारा बड़े और मध्यम आकार के बैंकों की '*सर्वश्रेष्ठ ईएसजी पहल*' श्रेणी में '*उपविजेता*' घोषित किया गया था. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हमारे परिचालनों में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करने और हमारे स्थिरता प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव में की गई प्रगति का प्रमाण है. यह हमें अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने तथा अपनी संधारणीय यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है.

भविष्य की ओर देखते हुए, आईडीबीआई बैंक अपने ईएसजी प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने और अपने दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों में स्थिरता को और एकीकृत करने के अपने संकल्प में दृढ़ है. हमारा मानना है कि ईएसजी सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने सभी हितधारकों के लिए एक अधिक लचीला, जिम्मेदार और मूल्यवान संस्थान बना सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य में एक संधारणीय योगदान देगा. हम सभी विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकारियों, अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों को इस महत्वपूर्ण यात्रा में उनके निरंतर सहयोग के लिए, विशेष रूप से निदेशक मंडल को उनके दृढ़ समर्थन और बैंक को चलाने में अमूल्य मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. मैं अपने सभी समर्पित कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत और लगन के लिए अपनी विशेष प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ, जो क्षमता को अनलॉक करने और अच्छा प्रदर्शन देने में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रहे हैं.

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हितधारकों की सम्मिलित और प्रभावी भागीदारी के साथ, बैंक अपने विकास और स्थिरता की खोज में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होगा.

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

राकेश शर्मा
एमडी और सीईओ

भाग क : सामान्य प्रकटन

I. सूचीबद्ध संस्था का ब्योरा:

क्रम संख्या.	विवरण	ब्योरा
1.	सूचीबद्ध संस्था की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईडीबीआई बैंक लि.
3.	निगमन का वर्ष	27 सितंबर 2004
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
5.	कॉरपोरेट पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
6.	ई मेल:	idbiequity@idbi.co.in
7.	टेलीफोन	+91-22-66553355
8.	वेबसाइट	www.idbibank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्ट की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2024-25
10.	स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहां शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है	बीएसई लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
11.	चुकता पूंजी (भारतीय रुपया)	₹ 1,07,52,40,21,750
12.	संपर्क अधिकारी का नाम	श्री मनीष पाल, महाप्रबंधक
	टेलीफोन	+91-22-66553355
	ई मेल पता:	brsr@idbi.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा	एकल
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कं. (बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक)
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	बीआरएसआर कोर प्रकटन के लिए उचित आश्वासन

II. योजनाएं और सेवाएं

16. कारोबारी गतिविधियों का ब्योरा

क्रम संख्या.	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	कारोबारी गतिविधि का विवरण	संस्था का टर्न ओवर प्रतिशत
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीय, वाणिज्यिक और बचत बैंकों द्वारा बैंकिंग गतिविधियां	100%

17. संस्था द्वारा बेची गई योजनाएं / सेवाएं

क्रम संख्या.	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	एनआईसी कोड	कुल टर्न ओवर में योगदान का प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट गृहों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

III. परिचालन:

18. जहां पर संस्था के संयंत्र और /या परिचालन / कार्यालय स्थित हैं, उन स्थानों की संख्या :

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	शाखाएं - 2,127* कार्यालय - 256	शाखाएं - 2,127* कार्यालय - 256
अंतर्राष्ट्रीय #	लागू नहीं	शाखा - 1	शाखा - 1

** - इसमें 24 आईडीबीआई समीप (निश्चित कारोबारी प्रतिनिधि) बैंकिंग आउटलेट शामिल हैं.*

 # - बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में स्थित है.

19. संस्था द्वारा सेवित बाज़ार:

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	35*
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1#

** - केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.*

 # - इसमें बैंक की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल है, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में स्थित है.

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

आईडीबीआई बैंक लि., एक सार्वभौमिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, जो पूरे भारत में व्यक्तियों, किसानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों और मझौले एवं बड़ी कंपनियों सहित विविध ग्राहक खंडों को सेवाएं प्रदान करता है. बैंक वित्तीय और निवेश उत्पादों जैसे बचत और चालू खाते, सावधि जमा, खुदरा ऋण (आवास, ऑटो, व्यक्तिगत और शिक्षा) के साथ-साथ व्यवसायों के लिए ऋण और गैर-ऋण सुविधाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है. इनमें निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित उत्पाद, व्यापार वित्त, ट्रेजरी और पूंजी बाज़ार सेवाएं, नकद प्रबंधन समाधान और कर संग्रह सेवाएँ शामिल हैं. शाखाओं और कार्यालयों के एक मजबूत राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ, बैंक वित्तीय पहुँच और समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र बैंकिंग समाधान प्रदान करके, बैंक एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में सेवा करना जारी रखता है, जिससे ग्राहक अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार कर सकें. बैंक द्वारा ऑफर किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण अनुभाग में दिया गया है.

IV. कर्मचारी:

20. वित्तीय वर्ष के अंत का विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग सहित):

क्रम सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	प्रतिशत (बी/ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)
	कर्मचारी					
1.	**स्थायी कर्मचारी (ए)**	16,911	11,123	65.77%	5,788	34.23%
2.	**स्थायी कर्मचारियों से इतर (बी)**	2,176	1,210	55.61%	966	44.39%
3.	**कुल कर्मचारी (ए+बी)**	**19,087**	**12,333**	**64.61%**	**6,754**	**35.39%**

क्रम सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	प्रतिशत (बी / ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)
			कामगार			
4.	स्थायी कामगार (सी)	644	487	75.62%	157	24.38%
5.	स्थायी कामगारों से इतर (डी)	0	0	-	0	-
6.	**कुल कामगार (सी + डी)**	**644**	**487**	**75.62%**	**157**	**24.38%**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रम सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	प्रतिशत (बी / ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी / ए)
			कर्मचारी			
1	स्थायी कर्मचारी (ई)	528	392	74.24%	136	25.76%
2	स्थायी कर्मचारियों से इतर (एफ)	346	248	71.68%	98	28.32%
3	**कुल कर्मचारी (ई + एफ)**	**874**	**640**	**73.23%**	**234**	**26.77%**
			कामगार			
4	स्थायी कामगार (जी)	10	8	80.00%	2	20.00%
5	स्थायी कामगारों से इतर (एच)	0	0	-	0	-
6	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (जी + एच)**	**10**	**8**	**80.00%**	**2**	**20.00%**

21. 31 मार्च 2025 को महिलाओं की सहभागिता / समावेश / प्रतिनिधित्व:

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या (बी)	महिलाओं का प्रतिशत (बी/ए)
निदेशक मंडल	15*	1	6.67%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5#	2	40.00%

** - बैंक के निदेशक मंडल के तीन सदस्य, अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अंतर्गत शामिल हैं.*

 # - मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में एमडी एवं सीईओ, दो डीएमडी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव शामिल हैं.

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की टर्नओवर दर:

	वित्तीय वर्ष 2024-25*			वित्तीय वर्ष 2023-24*			वित्तीय वर्ष 2022-23#		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.63%	5.63%	5.63%	6.51%	6.63%	6.55%	4.82%	4.59%	4.74%
स्थायी कामगार	0.55%	0.00%	0.42%	1.10%	2.08%	1.33%	13.51%	8.63%	12.47%

टिप्पणी: # वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टर्नओवर दर की गणना (वित्तीय वर्ष में संस्था से रोजगार छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या X 100)/ श्रेणी में नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या द्वारा की गई है.

** - टर्नओवर दर की गणना छोड़ने वालों की संख्या/(अवधि की शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या (अर्थात् 1 अप्रैल) + वित्तीय वर्ष के दौरान नए कार्यग्रहण करने वालों की संख्या) के रूप में की गई है. इस तर्क का उपयोग रिजर्व बैंक सहित डेटा प्रस्तुत करने के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है.*

V. धारक / सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित):

23. (क) धारक / सहायक/ सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम सं.	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियां / संयुक्त उद्यमों के नाम	यह दर्शायें कि क्या कंपनी धारक/ सहायक/ सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का%	कॉलम 'क' में दर्शायी गयी संस्था सूचीबद्ध संस्था की कारोबारी उत्तरदायित्व की पहलों में भाग लेती है? (हाँ / नहीं)
1	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	सहायक	66.67%	नहीं
2	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लि.	सहायक	100.00%	नहीं
3	आईडीबीआई इंटेक लि	सहायक	100.00%	नहीं
4	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	सहायक	54.70%	नहीं
5	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	सहायक	100.00%	नहीं
6	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि.	सहयोगी	26.10%	नहीं
7	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	सहयोगी	25.00%	नहीं
8	बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लि.	सहयोगी	27.93%	नहीं
9	पॉन्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.	सहयोगी	21.14%	नहीं

VI सीएसआर का ब्योरा

24.

क.	**क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है?**	हाँ
ख.	**टर्नओवर (भारतीय रुपया में)**	₹ 33,826.02 करोड़
ग.	**निवल मालियत (भारतीय रुपया में)**	₹ 43,638.53 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटन संबंधी अनुपालन

25. उत्तरदायी कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (1 से 9 सिद्धांत) के बारे में शिकायत/ परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हाँ / नहीं) *(यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेबलिंक प्रदान करें)*	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		शिकायतों की संख्या			शिकायतों की संख्या		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ, (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हाँ / नहीं) *(यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेबलिंक प्रदान करें)*	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		शिकायतों की संख्या		टिप्पणियां	शिकायतों की संख्या		टिप्पणियां
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
शेयरधारक	हाँ, (https://www.idbibank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx)	2,153	0	लागू नहीं	1,644	0	लागू नहीं
निवेशक (शेयर धारकों से इतर)	हाँ, (https://www.idbibank.in/flexi-bond.aspx)	-	-	*'ग्राहक'* शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉन्ड संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉन्ड संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं
कर्मचारी और कामगार #	हां, बैंक ने अपने इंट्रानेट पर कर्मचारी शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र *'आई-हृदयो'* शुरू किया है.	48	4	लागू नहीं	42	23	लागू नहीं
ग्राहक	हां, (https://www.idbibank.in/banking-complaints-I.aspx)	49,508	154	फ्लेक्सीबॉन्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.	59,714	282	फ्लेक्सीबॉन्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां, (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हाँ / नहीं) *(यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेबलिंक प्रदान करें)*	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		शिकायतों की संख्या			शिकायतों की संख्या		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	हां, बैंक उन शिकायतों पर कार्रवाई करता है, जिनमें सतर्कता का दृष्टिकोण दिखाई देता है और शिकायत निपटान तंत्र के लिए सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार भ्रष्टाचार या अन्य प्रकार के कदाचार की जानकारी के साथ प्रक्रियात्मक और परिचालन संबंधी मुद्दे (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) प्रदर्शित होते हैं. बैंक के पास एक व्हिसल ब्लोअर तंत्र भी है, जो इसके इंट्रानेट पर उपलब्ध है, ताकि इसके कर्मचारी अपने विचारों को रख सकें और आंतरिक कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई गलत प्रथाओं के बारे में प्रबंधन को सचेत कर सकें.	128	26	शिकायतों की संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 117 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से 26 वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित थीं और बैंक के व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत प्राप्त 11* शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से कोई भी वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित नहीं थी.	77	7	शिकायतों की संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 69 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से 7, वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित थीं और बैंक के व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत प्राप्त 8 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से कोई भी वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित नहीं थी.

टिप्पणी:

 # - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश) के तहत शिकायतें शामिल हैं.

** - वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के इंट्रानेट पर समर्पित ईमेल सुविधा के माध्यम से बैंक के कर्मचारियों से 12 व्हिसल ब्लोअर शिकायतें प्राप्त हुई. जिनमें से एक विशेष अधिकारी के खिलाफ एक ही शिकायत दो बार प्राप्त हुई. इसलिए, वर्ष के लिए वास्तविक गिनती 11 मानी गई है.*

26. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारोबारी आचरण मुद्दों का विहंगावलोकन

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव)
1	ग्राहक निजता और डेटा सुरक्षा	जोखिम	• **जोखिम:** बैंकिंग सेवाओं के तीव्र डिजिटलीकरण को देखते हुए, साइबर खतरों को रोकने और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए ग्राहक डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है.	• बैंक ने सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति सहित मजबूत आईटी जोखिम अभिशासन ढांचे को लागू किया है, तथा साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है. • बैंक ने एक 24x7 सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया है जो फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली (आईडीएस) डिवाइस/घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस) डिवाइस, एंटीवायरस जैसे सुरक्षा बुनियादी ढांचे की देखरेख करता है और साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए फ़िशिंग/मैलवेयर खतरों को संभालता है. • बैंक द्वारा डिजिटल अनुप्रयोगों का नियमित भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) किया जाता है. • बैंक के डेटा सेंटर (डीसी), डिजास्टर रिकवरी (डीआर) और निकट डीआर सुविधाएं आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित हैं, जो कड़े सूचना सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हैं.	• **नकारात्मक जोखिम:** डेटा उल्लंघन बैंक के लिए जोखिम पैदा करता है क्योंकि इससे हितधारकों का विश्वास खत्म हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित राजस्व हानि और विनियामक दंड हो सकता है.
2.	ग्राहक संतुष्टि	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** खराब ग्राहक सेवा से ग्राहक पलायन बढ़ सकता है और प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है. • **अवसर:** ग्राहक संतुष्टि का उच्च स्तर वफादारी, बार-बार व्यापार और मजबूत बाजार उपस्थिति को बढ़ावा देता है.	• बैंक के पास 24x7 ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी), बहु-स्थान संपर्क केंद्र और ग्राहकों की चिंताओं को समय पर निपटाने के लिए परिभाषित एस्केलेशन मैट्रिक्स है. • 15 अंचल कार्यालयों में से प्रत्येक में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रधान कार्यालय में एक प्रमुख नोडल अधिकारी (पीएनओ) है. बैंक ने शिकायतों के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) भी नियुक्त किया है. • बैंक की दो उच्च स्तरीय समितियां अर्थात ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी), सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही की निगरानी करती हैं.	• **नकारात्मक जोखिम:** असंतुष्ट ग्राहकों के परिणामस्वरूप कारोबार की हानि और ब्रांड इक्विटी कमजोर हो सकती है. • **सकारात्मक अवसर:** संतुष्ट ग्राहक अधिक वफादार होते हैं, जिससे क्रॉस-सेल के अवसर बढ़ते हैं और समग्र लाभप्रदता में सुधार होता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव)
3	जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** अप्रभावी जोखिम प्रबंधन से वित्तीय अस्थिरता, परिचालन अक्षमता, विनियामक गैर-अनुपालन और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। • **अवसर:** एक मजबूत जोखिम ढांचा व्यवसायिक लचीलापन और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को सक्षम बनाता है।	• बैंक के पास परिभाषित सीमाओं और प्रक्रियाओं के साथ एक संरचित जोखिम ढांचा है, जिसे नए खतरों और उभरते विनियमों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। • बैंक के बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ विभिन्न स्तरों पर संचालित की जाती हैं। • एकीकृत जोखिम प्रबंधन वास्तुकला (आईआरएमए) को प्रौद्योगिकी-संचालित उपकरणों जैसे ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) और व्यापक जोखिम मूल्यांकन के लिए व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकनकर्ता (कोर) का उपयोग किया जाता है।	• **नकारात्मक जोखिम:** जोखिम प्रबंधन में खामियों के परिणामस्वरूप नुकसान, जुर्माना और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। • **सकारात्मक अवसर:** सक्रिय जोखिम नियंत्रण परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक लाभप्रदता को बढ़ाता है।
4	डिजिटाइजेशन	अवसर	• **अवसर:** डिजिटल परिवर्तन परिचालन दक्षता को बढ़ाता है, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, डेटा सुरक्षा को मजबूत करता है और अनुपालन में सुधार करता है।	-	• **सकारात्मक अवसर:** प्रौद्योगिकी तीव्र सेवा वितरण, डेटा-संचालित निर्णय, स्वचालित प्रक्रियाएं और नए ग्राहक खंडों तक पहुंच को सक्षम बनाती है, जिससे निरंतर राजस्व वृद्धि को समर्थन मिलता है।
5	अनुपालन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** अनुपालन न करने पर कानूनी जोखिम, दंड और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। • **अवसर:** मजबूत अनुपालन प्रणालियां ईमानदारी और हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ बनाती हैं।	• बैंक ने विभिन्न वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की देखरेख में आंतरिक नियंत्रण और स्तरीकृत समीक्षाओं की एक संरचित प्रणाली स्थापित की है। • बैंक विनियामक अनुपालन के सत्यापन के लिए जोखिम आधारित परीक्षण भी करता है। • बैंक उचित डेटा प्रबंधन को सक्षम करने, बैंक स्तर पर अनुपालन के स्तर की निगरानी करने और अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए सेर्मो+ एनएक्सटी और ट्रैकर्स जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करता है।	• **नकारात्मक जोखिम:** अनुपालन में चूक के कारण दंड और प्रतिष्ठा जोखिम से वित्तीय नुकसान हो सकता है। • **सकारात्मक अवसर:** प्रभावी अनुपालन जोखिम न्यूनीकरण में सहायता करता है, ब्रांड छवि को मजबूत करता है और हितधारक विश्वास को बढ़ाता है।
6	ग्राहक जागरुकता	अवसर	• **अवसर:** ग्राहकों को शिक्षित करने से पारदर्शिता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और सहभागिता गहरी होती है।	-	• **सकारात्मक अवसर:** जागरुक ग्राहक वफ़ादारी बढ़ाते हैं, सेवा संबंधी समस्याओं को कम करते हैं, क्रॉस-सेल की संभावना को खोलते हैं, और कारोबार विस्तार में सहायता करते हैं।

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव)
7	कारोबारी नैतिकता और अभिशासन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** कमजोर अभिशासन से धोखाधड़ी, खराब अनुपालन को बढ़ावा मिल सकता है तथा विश्वास कम हो सकता है. • **अवसर:** नैतिक आचरण प्रतिष्ठा और हितधारक संबंधों को मजबूत करता है.	• बैंक का बोर्ड और विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियां कॉरपोरेट अभिशासन मानदंडों और पारदर्शिता का पालन सुनिश्चित करती हैं. • बैंक मुख्य/अंचलीय नैतिक अधिकारियों द्वारा समर्थित आचार संहिता और नैतिक नीति के माध्यम से नैतिक आचरण को कायम रखता है. • बैंक की पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) नीति ईमानदारी और उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है.	• **नकारात्मक जोखिम:** अनैतिक कार्यों से वित्तीय हानि, दंड और प्रतिष्ठा में गिरावट हो सकती है. • **सकारात्मक अवसर:** एक मजबूत नैतिक आधार विश्वास को बढ़ाता है, अनुपालन लागत को कम करता है, और सतत विकास को बढ़ावा देता है.
8	प्रतिस्पर्धी व्यवहार	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव सेवा नवाचार और दक्षता में बाधा उत्पन्न कर सकता है. • **अवसर:** प्रतिस्पर्धी रणनीतियाँ बाजार प्रासंगिकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं.	• बैंक नियमित समीक्षा और नवाचार के माध्यम से अपने उत्पाद और सेवा मॉडल को बाजार के रुझान के अनुरूप बनाता है. • बैंक ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाता है, जिससे ग्राहकों का उच्चतर प्रतिधारण और अधिग्रहण होता है.	• **नकारात्मक जोखिम:** सीमित नवाचार बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता को सीमित कर सकता है. • **सकारात्मक अवसर:** कुशल पेशकश और बेहतर सेवा ग्राहक अधिग्रहण और वित्तीय विकास को बढ़ावा दे सकती हैं.
9	रोजगार प्रथाएं	अवसर	• **अवसर:** एक कुशल कार्यबल ग्राहक संतुष्टि, परिचालन शक्ति और रणनीतिक विभेदीकरण को बढ़ावा देता है.	-	• **सकारात्मक अवसर:** एक प्रतिबद्ध और सक्षम कार्यबल ग्राहकों में उच्च विश्वास, परिचालन उत्कृष्टता और सतत कारोबारी प्रदर्शन को बढ़ावा देता है.
10	कर्मचारी कल्याण	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता न देने से सहभागिता कम हो सकती है, कर्मचारियों के छोड़ने की संख्या बढ़ सकती है, तथा सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. • **अवसर:** कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पादकता, मनोबल और नियोक्ता ब्रांडिंग में सुधार होता है.	• बैंक की जन-केंद्रित नीतियां वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों का मिश्रण प्रदान करती हैं. • बैंक समग्र व्यावसायिक विकास को समर्थन देने के लिए कर्मचारी विकास और सहभागिता पहल सुनिश्चित करता है.	• **नकारात्मक जोखिम:** खराब स्वास्थ्य प्रथाओं के कारण कर्मचारियों का पलायन, उत्पादन में कमी, तथा नियुक्ति/प्रशिक्षण लागत में वृद्धि हो सकती है. • **सकारात्मक अवसर:** एक स्वस्थ कार्य संस्कृति शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करती है, सेवा वितरण को बढ़ाती है, और व्यवसाय विकास को समर्थन देती है.

भाग ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

	प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	**क. क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियों में एनजीआरबीसी के हर सिद्धांत और इसके मूलभूत तत्वों को शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? (हाँ / नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. इन नीतियों का वेबलिंक, यदि उपलब्ध हों	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	9, 18, 19, 20, 22	2, 16, 17, 21, 23, 24, 25	16, 23, 26	23, 27, 28	7, 29	4, 7	7, 36	19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38
2.	**क्या संस्था ने अपनी नीतियों को क्रियाविधियों में परिवर्तित किया है ? (हाँ / नहीं)**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	**क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपकी मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं (हाँ/नहीं)**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	**आपकी संस्था द्वारा अपनाये गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणपत्र / लेबल्स / मानकों (जैसे, फॉरेस्ट स्टूअड्र्शिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायन्स, ट्रस्टी) मानक (जैसे एस ए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और अपने हर सिद्धांत के साथ उन्हें जोड़ लिया है.**	बैंक ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय रिजर्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण / विनियामक द्वारा निर्धारित अन्य सभी लागू कानूनों/नियमों को अपनाया है और उनका अनुपालन करता है.								
5.	**संस्था द्वारा सुपरिभाषित समय सीमा के साथ स्थापित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य, और लक्ष्य, यदि कोई हों**	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6.	**संस्था का विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर कार्यनिष्पादन तथा यदि इनमें से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो उसके कारण.**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7.	**कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो:** कृपया वार्षिक रिपोर्ट के बीआरएसआर खंड में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) द्वारा दिये गए कथन को देखें.									
8.	**कारोबारी उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.**	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी								

9.	**क्या संस्था में बोर्ड / निदेशक की ऐसी कोई निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो विवरण दें.**	हां, संधारणीयता के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इसकी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) नीति पर आधारित है. ईएसजी से संबद्ध मामलों की निगरानी बोर्ड की सीएसआर और ईएसजी समिति के पास है, जो बैंक के ईएसजी दृष्टि को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की संरचना का विवरण इसके विचारार्थ विषय और वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित इसकी बैठकों का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट अभिशासन खंड में दिया गया है. परिचालन स्तर पर, सीएसआर ईएसजी और प्रचार से संबधित प्रबंधन समिति जिसमें वरिष्ठ नेतृत्व शामिल है - ईएसजी प्राथमिकताओं के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने और बैंक के संधारणीयता एजेंडे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन करती है.

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्योरा	**पी1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी9**
यह दर्शाएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / अन्य किसी समिति द्वारा समीक्षा की गयी थी और आवृत्ति (वार्षिक / छ:माही / त्रैमासिक / अन्य कोई - कृपया निर्दिष्ट करें).									
उपर्युक्त नीतियों के संबंध में कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	बैंक प्रत्येक नीति दस्तावेज में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार या संबद्ध अनुमोदन प्राधिकारियों के निर्देशानुसार अपनी नीतियों की नियमित समीक्षा करता है. प्रत्येक नीति के अंतर्गत निष्पादन का वार्षिक आधार पर समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार संशोधन या संवर्द्धन किया जाता है, ताकि बदलती विनियामक अपेक्षाओं, व्यावसायिक आवश्यकताओं और संधारणीयता उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके.								
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	बैंक संबद्ध सांविधिक/विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित सभी लागू कानूनों/विनियमों का अनुपालक है.								

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं.	**पी1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी9**
	नहीं								

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात् नीति में सभी सिद्धांत शामिल नहीं है, कारणों का उल्लेख किया जाए :

प्रश्न	**पी1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी9**
संस्था इन सिद्धांतों को अपने कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ /नहीं)	लागू नहीं								
संस्था ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बना सके और उनको कार्यान्वित कर सके (हाँ/ नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय अथवा/ मानवीय एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/ नहीं)									
इसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/ नहीं)									
अन्य कोई कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

नीतियों की सूची:

1. ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता (https://www.idbibank.in/commitment-code.aspx)
2. सामान्य आचार संहिता और नैतिकता (https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx#:~:text=Conduct%20of%20Staff,-To%20uphold%20the&text=a%20sense%20of%20fair%20play,objective%20of%20IDBI%20Bank%20Ltd.)
3. इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आईडीबीआई बैंक की आचार संहिता (https://www.idbibank.in/pdf/investor/Prevention_of_Insider_Trading.pdf)
4. आईडीबीआई बैंक की अनुपालन नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
5. गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Compensation_Policy.pdf)
6. बैंक की पारिश्रमिक नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF)
7. ईएसजी नीति (https://www.idbibank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
8. एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
9. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
10. रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf)
11. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
12. घटना संबंधी सूचना की महत्ता के निर्धारण और प्रकटीकरण की नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-for-Determination-of-Materiality-Disclosure-of-Events.pdf)
13. संबद्ध पार्टी लेनदेन (आरपीटी) नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf)
14. आईसीएएपी नीति के तहत दबाव परीक्षण (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Final-Pillar-III-Disclosures_Sep-24.pdf)
15. सतर्कता तंत्र (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism.aspx)
16. सतर्कता तंत्र पर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism-.pdf)
17. अधिकारी सेवा, आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
18. आईटी नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
19. सूचना सुरक्षा नीति/ साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना (https://www.idbibank.in/information-security.aspx)
20. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Final-Pillar-III-Disclosures_Sep-24.pdf)
21. सुरक्षा नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
22. गोपनीयता नीति (https://www.idbibank.in/idbi-bank-policies.aspx)
23. समान अवसर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf)
24. ज्ञानार्जन एवं कर्मचारी सहभागिता नीति (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
25. i-HRIDAYO पोर्टल (सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं है)
26. बोर्ड विविधता नीति (https://www.idbibank.in/pdf/IDBI-Bank-Board-Diversity-Policy.pdf)
27. मानवाधिकार नीति (https://www.idbibank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf)
28. पोश अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न निवारण समितियां (https://www.idbibank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)

29. व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति (https://www.idbibank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures-March-25.pdf)
30. ग्राहक मुआवजा नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf)
31. बकाया राशि के संग्रहण और प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण पर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/collection_of_dues_policy.pdf)
32. ऋण देने के लिए उचित आचरण संहिता (https://www.idbibank.in/pdf/policy/FairPracticecodeforLending.pdf)
33. उचित व्यवहार संहिता- माइक्रोफाइनेंस ऋण (https://www.idbibank.in/pdf/micro-loan-fpc.pdf)
34. ग्राहक सेवा नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf)
35. ग्राहक अधिकार नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf)
36. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf)
37. शिकायत निवारण नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf)
38. अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-Banking-Transactions-Policy.pdf)

भाग ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटन

सिद्धांत 1: कारोबारों को स्वयं को ईमानदारी के साथ और ऐसी पद्धति से संचालित और अभिशाषित करना चाहिए जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह युक्त हो.

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान एनजीआरबीसी के किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल *	6	• निदेशक संस्थान (आईओडी), भारत द्वारा आयोजित निदेशक मंडल के लिए जोखिम प्रबंधन और अनुपालन • डेलॉइट द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए) • भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए) द्वारा गंगटोक में निदेशक प्रमाणन मास्टर क्लास; • उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम (सीएएलपी) सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल) द्वारा मैकडोनो स्कूल ऑफ बिजनेस, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए के सहयोग से • आईओडी द्वारा निदेशक मंडल और कार्यपालक निदेशकों के लिए एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा • स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस) 2024 बीजिंग	86.67%#

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिशत
मख्य प्रबंधकीय कार्मिक *	35	• सीएएफआरएएल (उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र) उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम • एसआईबीओएस कार्यक्रम (स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संचालन संगोष्ठी) • निदेशक मंडल और कार्यपालक निदेशकों के लिए एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम • निदेशक मंडल के लिए जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम • वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पर कार्यक्रम • उद्यमी चिंतन कार्यक्रम • आरोहन 3 • बैंक के ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल अर्थात् 'ओजस' में केवाईसी और एएमएल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल • भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा आयोजित प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन • मुंबई में कंपनी सचिव का 52वां राष्ट्रीय सम्मेलन • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) पर वेबिनार • बीआरएसआर विनियामक परिदृश्य और हितधारक जुड़ाव पर वेबिनार • सचिवीय लेखापरीक्षा की बारीकियों पर वेबिनार	100.00%
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	2,490	• विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत विषयों/सिद्धांतों को कवर किया गया था, जिसमें अन्य के साथ-साथ, आरोहण 3.0, भूमिका-आधारित कार्यशालाएं, ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम, परिचय कार्यक्रम, वर्टिकल कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, कार्यशालाएं आदि शामिल थे. • ओजस ई-लर्निंग मॉड्यूल अर्थात साइबर सुरक्षा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का रोकथाम, ग्राहक सेवा, क्रेडिट जोखिम, धोखाधड़ी का रोकथाम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन, केवाईसी और एएमएल, निवारक सतर्कता, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन, ईएसजी और बीआरएसआर का परिचय, आईडीबीआई परिचालन जोखिम प्रबंधन, आदि	98.31%
कामगार	43	• कल्याण कार्यक्रम और मानवाधिकार जागरुकता, पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण, न्यायनिर्णयन विनिमय सुविधा, बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएं आदि का पता लगाना, फिशिंग ईमेल का पता लगाने और उनसे निपटने पर जागरुकता प्रशिक्षण, सहायक केयरटेकर के लिए कार्यशाला, ओजस ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि	84.16%

** - निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की कुल संख्या में एमडी एवं सीईओ और डीएमडी शामिल हैं और इसे 31 मार्च 2025 तक माना गया है.*

 # - इसमें श्री मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा लिया गया प्रशिक्षण भी शामिल है, जो 9 फरवरी 2025 से निदेशक नहीं रहे.

2. वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के द्वारा की गई कार्रवाई (संस्था द्वारा या निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में लगाया गया जुर्माना / दंड / सजा / फैसला / चक्रवृद्धि शुल्क / निपटान राशि के भुगतान का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण. (टिप्पणी: सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट, महत्व के आधार पर और जिसका संस्था की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया गया हो, के अनुसार प्रकटन किया जायेगा):

मौद्रिक

प्रकार	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	राशि (भारतीय रुपया में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है ? (हाँ / नहीं)
दंड / जुर्माना	सिद्धांत 1	भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक)	₹41,34,350/-	• गंदे नोट स्वीकृति/कमी के लिए वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना (2 मामले): ₹ 15,000/- • रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोट (iv) लेखा परीक्षा में कमी आदि के कारण लगाया गया जुर्माना (11 मामले): ₹ 7,300/- • गंदे नोट स्वीकृति/कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान लगाया गया जुर्माना (1 मामला): ₹10,000/- • रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोट (iv) लेखापरीक्षा में कमी आदि के कारण लगाया गया जुर्माना (37 मामले): ₹ 73,550/- • वित्तीय वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना (1 मामला): ₹ 10,000/- • रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के दौरान करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोट (iv) लेखा परीक्षा में कमी आदि के कारण लगाया गया जुर्माना (19 मामले): ₹ 49,200/-	नहीं

मौद्रिक					
प्रकार	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (भारतीय रुपया में)**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है ? (हाँ / नहीं)**
				• गुप्त निरीक्षण के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम ₹ 10,000/- का जुर्माना, अपने ग्राहकों में से एक द्वारा प्राप्त विदेशी आवक धन-प्रेषण के निष्पादन को संभालने में फेमा, 1999 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन (22 मामले): ₹ 38,60,000/- • वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट से संबंधित (i) गंदे नोटों (ii) नकदी की कमी (iii) जाली नोटों के कारण लगाया गया जुर्माना (24 अवसरों): ₹ 1,09,300/-	
	सिद्धांत 1	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)	₹ 55,000/-	• बैंक के एटीएम नेटवर्क की तकनीकी गिरावट की सीमा का उल्लंघन (1 मामला): ₹ 15,000/- • एईपीएस भुगतान प्रणाली का टीडी अनुपालन (तकनीकी गिरावट) (2 अवसरों) : ₹ 40,000/-	
निपटान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चक्रवृद्धि शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर मौद्रिक					
प्रकार	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (भारतीय रुपया में)**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ / नहीं)**
कारावास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट की गयी जानकारी में से उन मामलों के ब्योरे जिनके मामले में अपील / संशोधन दर्ज किया गया है जहां मौद्रिक अथवा गैर- मौद्रिक कार्रवाई करने की अपील की गयी है.

लागू नहीं

4. **क्या संस्था की कोई भ्रष्टाचार निरोधक अथवा रिश्वतखोरी निरोधक नीति है? यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा दें और यदि उपलब्ध हो, तो इस नीति से संबंधित वेबलिंक उपलब्ध कराएं.**

हां, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है जो ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक अभिशासन के साथ कारोबार करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. यह नीति रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति बैंक के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाती है. यह नीति बैंक के इंट्रानेट पर कर्मचारियों के लिए सुलभ है. सार्वजनिक संदर्भ के लिए, नीति को बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) पर भी दर्शाया गया है.

5. **निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/ कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत खोरी/ भ्रष्टाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निदेशक	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का ब्योरा:**

	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
केएमपी के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाये गये दंड / जुर्माने/ की गयी कार्रवाई से संबंधित मामलों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो या की जा रही हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करें.**

लागू नहीं

8. **निम्नलिखित प्रारूप में देनदारी लेखों के दिनों की संख्या ((देनदारी लेखे X 365)/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
देनदारी लेखों के दिनों की संख्या*	32	38

*टिप्पणी: * कारोबारी मॉडल को देखते हुए बैंक की देनदारी लेखों से संबन्धित कोई प्रत्यक्ष देयता नहीं है. बैंक की देयताओं को "अन्य देयताएं" शीर्षक के अंतर्गत समूहित किया गया है और उस पर खातों के स्वामियों द्वारा निगरानी रखी जाती है. देनदारी लेखों के दिनों की संख्या की गणना के लिए अनुसूची 16 के हिस्सा बनने वाले वेंडरों के भुगतान को विभाजक के रूप में लिया जाता है.*

9. **कारोबार में खुलापन:**

निम्नलिखित प्रारूप में ट्रेडिंग हाउस, व्यापारियों और संबद्ध पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम एवं निवेश सहित खरीद और बिक्री का संकेंद्रण का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	मात्रक		वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
खरीद संकेंद्रण	क.	कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग कंपनी होने के नाते बैंक पर खरीद और बिक्री के मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक के पास जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का व्यापक आधार है, जो इसकी नीतियों के अनुसार संग्रहित किये जाते है. बैंक का ट्रेडिंग हाउस/व्यापारियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है.	
	ख.	ट्रेडिंग हाउस की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है.		
	ग.	ट्रेडिंग हाउस से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीदारी.	संबद्ध पक्षों के साथ सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर किए जाते है. वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण प्रकट किया गया है.	

मापदंड		मात्रक	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
बिक्री संकेंद्रण	क	कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में व्यापारियों/ वितरकों को बिक्री.	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग कंपनी होने के नाते बैंक पर खरीद और बिक्री के मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक के पास जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का व्यापक आधार है, जो इसकी नीतियों के अनुसार संग्रहित किये जाते है. बैंक का ट्रेडिंग हाउस/व्यापारियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है. संबद्ध पक्षों के साथ सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर किए जाते हैं. वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण प्रकट किया गया है.	
	ख.	व्यापारियों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है.		
	ग.	व्यापारियों/ वितरकों के कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारियों/वितरकों को बिक्री.		
में आरपीटी का हिस्सा	क.	खरीद (संबद्ध पक्षों से खरीद/ कुल खरीद).	-	-
	ख.	बिक्री (संबद्ध पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री).	-	-
	ग.	ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)#	0.42%	0.28%
	घ.	निवेश (संबद्ध पक्षों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)##	0.28%	0.26%

टिप्पणी:

 # - संबद्ध पक्ष को प्रदत्त ऋण/बैंक के सकल अग्रिम

- संबद्ध पक्ष में निवेश / बैंक के कुल सकल निवेश

नेतृत्व संकेतक

1. मूल्य शृंखला के साझेदारों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी एनजीआरबीसी सिद्धांत पर चलाये गये जागरूकता कार्यक्रम :

आयोजित किये गये प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल मूल्य शृंखला में व्यक्तियों का प्रतिशत
01	नैतिकता, टीम वर्क, समय प्रबंधन, अनुपालन, निवारक रखरखाव, घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग आदि पर प्रशिक्षण.	बैंक ने प्रधान कार्यालय, मुंबई में कार्यरत मूल्य शृंखला साझेदारों के कर्मचारियों के लिए उक्त विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है.

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव को टालने के लिए /प्रबंधन के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण प्रस्तुत करें.

हां, बैंक ने बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव के प्रबंध और निवारण के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं बनायी हैं. निदेशकों पर लागू निर्दिष्ट मार्गदर्शन सहित हितों के टकराव को दूर करने के लिए बैंक की सामान्य आचार संहिता और नैतिकता, बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) पर उपलब्ध है. बैंक के अभिशासन ढांचे के एक भाग के रूप में, बोर्ड के सदस्यों को बाहरी संस्थाओं में अपने हितों में किसी भी बदलाव को बोर्ड को तुरंत प्रकट करना आवश्यक है. यह प्रकटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाली बोर्ड की पहली बैठक के दौरान किया जाता है और उसके बाद जब कभी बदलाव होते हैं. ऐसे मामलों में जहां निदेशक का किसी कार्यसूची मद में निहित स्वार्थ हो, तो उन्हें पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिशासन प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए विचार-विमर्श और निर्णय लेने से स्वयं को अलग रखना आवश्यक है.

सिद्धांत 2:- कारोबार को इस प्रकार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों.

आवश्यक संकेतक:

1. संस्था द्वारा कुल आर एंड डी तथा पूंजीगत व्यय निवेशों के लिए योजना एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट तकनीकों में क्रमश: आर एंड डी और पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेशों का प्रतिशत.

प्रकार	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार का विवरण
अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)	वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में संचालन की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं है.		
पूंजीगत व्यय (केपेक्स)			

2. क. क्या संस्था के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ

ख. यदि ''हाँ'', तो कितने प्रतिशत निविष्टियां संधारणीय रूप से प्राप्त की गई?

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी नई खुली शाखाओं और कुछ अन्य कार्यालय भवनों/आवासीय फ्लैटों के लिए ग्रीन बिल्डिंग उत्पाद जैसे ग्रीन प्लाईवुड, एलईडी लाइट आदि की खरीद की है. बैंक ईएसजी मापदंडों के तहत अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने वेंडर/सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेगा, ताकि उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, राष्ट्रीय और स्थानीय श्रम कानूनों का पालन और बाल, जबरन या तस्करी आदि से लाया गया श्रम सहित मानव अधिकार जैसे उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. जहां तक संभव हो, बैंक ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देता है जो ईएमएस/आईएसओ 14001 प्रमाणित हों. बैंक ईएसजी अनुपालक आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक आश्रित रहने के लिए प्रतिबद्ध है. वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए बैंक द्वारा जारी कुछ प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में ईएसजी से संबंधित खंड शामिल किए गए हैं.

3. जीवनकाल की समाप्ति पर अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुन: प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:(क) प्लास्टिक (पैकिंग सामग्री सहित) (ख) ई-वेस्ट (ग) हानिकारक कचरा और (घ) अन्य कचरा

लागू नहीं

4. क्या संस्था की गतिविधियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है ?(हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो क्या कचरा उठाने की योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व(ईपीआर) के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो उक्त के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें.

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक:

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद के लिए (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी किसी भी सेवाओं के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उसका जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में उसका ब्योरा प्रस्तुत करें.

लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पाद/सेवा से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय चिंताएं और/या उत्पादन या निपटान से जोखिम उत्पन्न हो रही हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) में या अन्य किसी माध्यम के जरिये पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसे घटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, यह बताएं.

लागू नहीं

3. उत्पादन में (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवा प्रदान करने के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उपयोग में लाई गई कुल सामग्री (मूल्य के रूप में) में से पुनर्चक्रण की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई सामग्री का प्रतिशत.

लागू नहीं

4. निम्नलिखित प्रारूप में जीवन समाप्त होने वाले उत्पाद तथा पैकेजिंग सामग्री के दोबारा प्रयोग में लाई गई, पुनर्चक्रण की गई और सुरक्षित रूप से नष्ट की गयी सामग्री की मात्रा (मेट्रिक टन में):

लागू नहीं

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए दोबारा दावा किये गये उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री(बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में).

लागू नहीं

सिद्धांत 3: कारोबारों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. क) कर्मचारियों की भलाई के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:

श्रेणी	इसके अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा*		दुर्घटना बीमा		प्रसूती लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	11,123	11,123	100.00%	11,123	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	11,123	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	5,788	5,788	100.00%	5,788	100.00%	5,788	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	16,911	16,911	100.00%	16,911	100.00%	5,788	34.23%	11,123	65.77%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों से इतर											
पुरुष	1,210	1,203	99.42%	1,210	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	966	964	99.79%	966	100.00%	966	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	2,176	2,167	99.59%	2,176	100.00%	966	44.39%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

** स्थायी कर्मचारी बैंक की इन-हाउस स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं. प्रवेश स्तर के अधिकारी फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा नीति के अंतर्गत आते हैं.*

ख) कामगारों की भलाई के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:

श्रेणी	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा*		दुर्घटना बीमा		प्रसूती लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	487	487	100.00%	487	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	487	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	157	157	100.00%	157	100.00%	157	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	644	644	100.00%	644	100.00%	157	24.38%	487	75.62%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों से इतर											
पुरुष	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
कुल	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

** स्थायी कर्मचारी बैंक की इन-हाउस स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं. प्रवेश स्तर के अधिकारी फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा नीति के अंतर्गत आते हैं.*

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी से इतर) की भलाई के उपायों पर व्यय करना

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में भलाई उपायों पर व्यय की गई लागत.	0.32%	0.80%

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के सेवानिवृत्ति लाभों का ब्योरा:

क्रम सं.	लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कामगारों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कामगारों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
1.	भविष्य निधि	2.45%	11.49%	हाँ	2.82%	13.04%	हाँ
2.	ग्रेच्युटी	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
3.	ईएसआई	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
4.	अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें (पेंशन एवं एनपीएस)*	97.55%	88.51%	हाँ	97.18%	86.96%	हाँ

*टिप्पणी: * - खोले न गए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) वाले कर्मचारियों को छोड़कर.*

3. कार्य स्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुगम्य है? यदि नहीं, तो क्या संस्था इस संबंध में कोई उपाय कर रही है.

बैंक अपने परिसर/कार्यालयों को सभी के लिए सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 31 मार्च 2025 को 2,104 शाखाओं (24 आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट को छोड़कर) में से 1,044 शाखाओं में रैंप की सुविधा थी. 294 शाखाओं में रैम्प सुविधा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन शाखाओं का प्रवेश द्वार जमीन के समानांतर है या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 766 शाखाएं ऊपरी मंजिल पर स्थित हैं, इसलिए इन शाखाओं में रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है.

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति मौजूद है ? यदि हाँ, तो नीति का वेबलिंक उपलब्ध कराएं.

हाँ, बैंक की समान अवसर नीति है जो सार्वजनिक रूप से (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) उपलब्ध है. बैंक का यह प्रयास है कि कार्यस्थल पर समान अवसर सृजित करके और विविधता, एवं समावेशन को ध्यान में रखते हुए तथा उसका सम्मान करते हुए अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखा जाए. बैंक अपने सभी कर्मचारियों और सभी योग्य आवेदकों को उनकी वंश, जाति, धर्म, रंग, वंशज, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, अक्षमता आदि पर ध्यान दिए बिना समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है.

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पैतृक छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी एवं काम पर बने रहने की दर.

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर लौटने की दर*	बने रहने की दर#	काम पर लौटने की दर*	बने रहने की दर#
पुरुष	100%	91%	100%	100%
महिला	85%	91%	100%	100%
कुल	94%	91%	100%	100%

*टिप्पणी: * - काम पर वापसी दर के लिए, उन अधिकारियों पर विचार किया गया है जिन्होंने पितृत्व/मातृत्व छुट्टी ली है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 (31 मार्च 2025 तक) के दौरान समाप्त हो गया है और जो 31 मार्च 2025 को सेवा में हैं.*

 # - बने रहने की दर के लिए उन अधिकारियों पर विचार किया गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 को समाप्त पितृत्व/मातृत्व छुट्टी ली है, 12 महीने के बाद बने रहे हैं और 31 मार्च 2025 को सेवा में हैं.

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने का कोई तंत्र मौजूद है? यदि हाँ, तो उस तंत्र का ब्योरा संक्षिप्त में दें.

श्रेणी	हाँ /नहीं	संक्षिप्त में तंत्र का ब्योरा
स्थायी कामगार	हाँ	हाँ, कर्मचारियों / कामगारों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए बैंक के पास ऑनलाइन पोर्टल अर्थात आई हृदयो है, जो बैंक के इंट्रानेट पर मौजूद है. बैंक ने शिकायतों का निवारण करने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अपनी विभिन्न नीतियों, क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं में अपीलीय तंत्र को ही अंतर्भूत कर लिया है.
स्थायी कामगारों से इतर	हाँ	
स्थायी कर्मचारी	हाँ	
स्थायी कर्मचारियों से इतर	हाँ	

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (घों) अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024- 25			वित्तीय वर्ष 2023- 24		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों/ कामगारों (ए)*	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ (घों) अथवा यूनियन के सदस्य हैं (बी)#	प्रतिशत (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों/ कामगारों (सी)	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ (घों) अथवा यूनियनों के सदस्य हैं (डी)	प्रतिशत (डी/सी)
स्थायी कर्मचारी						
पुरुष	12,333	7,708	62.50%	12,008	7,597	63.27%
महिला	6,754	3,260	48.27%	6,283@	3,089	49.16%
कुल	**19,087**	**10,968**	**57.46%**	**18,291**	**10,686**	**58.42%**
स्थायी कामगार						
पुरुष	487	457	93.84%	553	553	100.00%
महिला	157	127	80.89%	168	135	80.36%
कुल	**644**	**584**	**90.68%**	**721**	**688**	**95.42%**

** - डेटा में संविदा पर कर्मचारी शामिल हैं.*

 # - हालांकि, किसी भी यूनियन/संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा नहीं दिया गया है, उपर्युक्त बैंक में संचालित प्रमुख यूनियनों /संघों की अस्थायी संभावित स्थिति दर्शाता है.

@सलाहकार को बाहर रखने के कारण कर्मचारियों की संख्या 6,284 से संशोधित कर 6,283 कर दी गई.

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गये प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
		स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर			स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
	कुल (ए)	संख्या (बी)	प्रतिशत (बी/ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी/ए)	कुल (डी)	संख्या (ई)	प्रतिशत (ई/डी)	संख्या (ई)	प्रतिशत (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	12,333	11,617	94.19%	12,155	98.56%	12,008	9,907	82.50%	11,775	98.06%
महिला	6,754	6,221	92.11%	6,609	97.85%	6,283*	4,881	77.69%	6,119	97.39%
कुल	**19,087**	**17,838**	**93.46%**	**18,764**	**98.31%**	**18,291**	**14,788**	**80.85%**	**17,894**	**97.83%**
कामगार										
पुरुष	487	394	80.90%	397	81.52%	553	501	90.60%	507	91.68%
महिला	157	145	92.36%	145	92.36%	168	154	91.67%	161	95.83%
कुल	**644**	**539**	**83.70%**	**542**	**84.16%**	**721**	**655**	**90.85%**	**668**	**92.65%**

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल(ए)#	संख्या (बी)@	प्रतिशत (बी/ए)	कुल (सी)#	संख्या (डी)@	प्रतिशत (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	11,147	10,764	96.56%	10,938	10,311	94.27%
महिला	5,802	5,208	89.76%	5,409	4,827	89.24%
कुल	**16,949**	**15,972**	**94.24%**	**16,347**	**15,138**	**92.60%**
कामगार						
पुरुष	525	524	99.81%	634	611	96.37%
महिला	165	165	100.00%	192	188	97.92%
कुल	**690**	**689**	**99.86%**	**826**	**799**	**96.73%**

टिप्पणी:

 # - कुल कर्मचारियों में वित्तीय वर्ष के अंत में जीवित कर्मचारी प्लस सेवानिवृत्त /स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत कर्मचारी शामिल हैं जिनका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है.

@ - कुल कर्मचारियों / कामगारों जिनका वित्तीय वर्ष में कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया गया है.

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

क) क्या संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ /नहीं) ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?	हां, बैंक के पास एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मौजूद है. बैंक ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, सुविधापूर्ण कुर्सियां और अपने कार्यालयों एवं शाखाओं में सुरक्षा गार्ड तैनात किये हैं. इसके अलावा, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और प्रशिक्षण कॉलेज में बैंक चिकित्सक अधिकारियों (बीएमओ) नियुक्त किये हैं.

ख)	**संस्था द्वारा कार्य-संबंधी जोखिमों की पहचान करने तथा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?**	बैंक समय-समय पर अपने कार्यबल के लिए अग्नि मॉक ड्रिल का आयोजन करता है. बैंक अपने सभी उपकरणों का निवारक रखरखाव भी करता है. बैंक की नीति के अनुसार आपदा और व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (आई-डीएबी) में सभी विवरण आईटी सिस्टम में अद्यतन किए जाते हैं.
ग)	**क्या आपके पास कामगारों द्वारा काम से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने तथा उन्हें स्वयं को वहाँ से हटाने की प्रणाली मौजूद है. (हाँ /नहीं)**	हाँ, बैंक अपने प्रधान कार्यालय में घटना/खतरा, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड करने/रिपोर्ट करने के लिए लॉगबुक, इलेक्ट्रिकल शॉक रजिस्टर आदि रखता है. इसके अलावा, कामगारों को खतरों से बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) उपलब्ध हैं.
घ)	**क्या संस्था के कर्मचारियों/ कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है? (हाँ / नहीं)**	हाँ, सभी कर्मचारी और उनके आश्रित बैंक की चिकित्सा योजना के अंतर्गत आते हैं. इसके प्रधान कार्यालय में मानसिक स्वास्थ्य, लिवर फंक्शन टेस्ट, नेत्र परीक्षण, हृदय स्वास्थ्य आदि सहित स्वास्थ्य जांच की गई. इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम जैसे- कैंसर, महिला स्वास्थ्य, आहार और पोषण आदि का भी आयोजन किया गया था.

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण :

सुरक्षा से संबंधित घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
लॉस्ट टाइम इंज्युरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे के काम के दौरान)	कर्मचारी	वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2023-24 में बैंक का कोई भी कर्मचारी/ कामगार ऐसा नहीं था जिसे कार्य संबंधी चोट/ अस्वास्थ्यता/ मृत्यु का सामना करना पड़ा हो.	
	कामगार		
काम-काज से जुड़ी दर्ज करने योग्य कुल चोट	कर्मचारी		
	कामगार		
मृतकों की संख्या	कर्मचारी		
	कामगार		
कार्य से जुड़ी चोट के भारी परिणाम अथवा अस्वस्थता (मृतकों को छोड़कर)	कर्मचारी		
	कामगार		

12. संस्था द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन करें

आईडीबीआई बैंक सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा अपने सभी अंचल कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए आवधिक रूप से अग्निशमन की कवायद का प्रशिक्षण;
- सभी कार्यालय परिसरों में अग्निशमन सहायता उपकरण, आग लगने पर खतरे की घंटी, और अग्नि शमन उपकरण का प्रावधान; और
- मुंबई में स्थित इसके प्रधान कार्यालय, कुछ अंचल कार्यालयों और कुछ स्टाफ क्वार्टरों में बैंक चिकित्सा अधिकारी(बीएमओ) की उपलब्धता और एंबुलेंस के साथ टाई-अप.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

विषय	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणी
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कामकाज की स्थितियां	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष का मूल्यांकन:

विषय	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	बैंक के प्रधान कार्यालय में लिफ्ट निरीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण, प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अग्नि स्थापना, निर्माता द्वारा सील बंद पानी का परीक्षण और अधिकृत एजेंसी से डीजी प्रदूषण का परीक्षण किया गया. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों का निरीक्षण इसके अधिकारियों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता है.
कामकाज की स्थितियाँ	

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कामकाजी स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण जोखिमों / मुद्दों का विवरण प्रदान करें.

बैंक के पास सुरक्षित और स्वस्थ कामकाज की स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए निवारक रखरखाव कार्यक्रम, एसओपी, क्या करें, क्या न करें आदि मौजूद हैं.

नेतृत्व के संकेतक

1. क्या संस्था (क) किसी कर्मचारी (हाँ/नहीं) (ख) किसी कामगार (हाँ/नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है ?

हाँ, बैंक अपने कर्मचारियों और कामगारों को जीवन बीमा सुरक्षा और क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है.

2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला के भागीदारों द्वारा सांविधिक देयताओं की कटौती की गई तथा उस राशि को जमा किये जाने के बारे में किये गये उपायों के बारे में बताएं.

बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके मूल्य श्रृंखला के भागीदार भविष्य निधि (पीएफ़), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), ग्रेच्युटी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आदि जैसी सांविधिक कटौतियां करें और उनको जमा भी करायें. इसके अतिरिक्त विक्रेता इस आशय का अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं. बैंक ने अपने कुछेक प्रस्ताव अनुरोध (आरएफ़पी) में सांविधिक विनियामक भुगतान करने का एक खंड भी शामिल किया है.

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें काम से संबंधित अत्यधिक गंभीर चोट / बीमारी / मृत्यु हुई है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र. 11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वसन किया गया है और उन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है :

श्रेणी	प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों /कामगारों की कुल संख्या, जिनका पुनर्वसन किया गया है और जिन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है या परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कर्मचारी	लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में बैंक का कोई भी कर्मचारी/कामगार ऐसा नहीं था जिसको कार्य-संबंधी गंभीर चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा हो.			
कामगार				

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति अथवा रोजगार समाप्त होने के बाद निरंतर नियोजन योग्यता और करियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम संचालित करती है? (हां/ नहीं).

हां, बैंक अपने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करता है जो उनके आगे के जीवन के लिए योजना बनाने में सहायता करती हैं. ये कार्यशालाएं इस उद्देश्य से चलायी जाती हैं कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले शारीरिक तथा मानसिक बदलावों के लिए तैयार हो सके. हैदराबाद में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान यानी आईडीबीआई बैंकिंग एवं वित्त उत्कृष्टता केंद्र (आईसीबीएफ़) में तीन दिवसीय पाठ्यक्रम में ये कार्यशालाएं चलायी जाती हैं :

- स्वस्थ बुढ़ापा और शारीरिक बदलावों का प्रबंधन
- सेवानिवृत्ति के बाद समग्र जीवन के लिए तंदुरुस्त रहने का व्यक्तिगत लक्ष्य
- आहार और जीवन शैली का अभ्यास

- सर्वांगीण सुख के लिए योग और ध्यान धारणा के मार्ग को अपनाना
- जीवन और जीविका का तत्वज्ञान (आध्यात्मिक पहलू)
- दूसरा कैरियर, उत्पादक बुढ़ापा और सोशल नेटवर्किंग
- सफलतापूर्वक बदलाव के लिए मानसिक कवायद
- कर संबंधी पहलुओं सहित वित्त और निवेशों का प्रबंधन
- वसीयत बनाने का महत्व और नामांकन के नियम
- अधिवर्षिता के लाभ

5. **मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा:**

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	बैंक अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य स्थल स्थितियों के मूल्यांकन के लिए प्रणालियां स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने 57 मूल्य श्रृंखला भागीदारों से सुरक्षित कार्य स्थल स्थितियों को बनाए रखने और लागू कानूनों द्वारा परिभाषित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के अनुपालन के संबंध में स्व-घोषणाएँ एकत्र कीं.
कार्य स्थल की स्थितियाँ	

6. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन तथा मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ मुद्दों को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.**

मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य स्थल की स्थितियों के मूल्यांकन के दौरान कोई विशिष्ट जोखिम/मुद्दे नहीं देखे गए.

सिद्धांत 4: कारोबारों को अपने सभी स्टेकधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख स्टेकधारक समूहों का पता लगाने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का वर्णन करें:**

पारदर्शिता और समावेशी अभिशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक संरचित हितधारक जुड़ाव और भौतिकता मूल्यांकन (एसईएमए) का प्रयोग किया. एसईएमए का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि बैंक की संधारणीयता पहल हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) के महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की जा सके.

एसईएमए के उद्देश्य

- हितधारकों की प्राथमिकताओं और चिंताओं की व्यापक समझ विकसित करना;
- हितधारकों और बैंक के लिए प्रासंगिक प्रमुख ईएसजी विषयों की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना;
- भौतिकता अंतर्दृष्टि के आधार पर कार्रवाई योग्य संधारणीयता उद्देश्यों को परिभाषित करना; तथा
- हितधारकों द्वारा सूचित संधारणीयता योजना और रिपोर्टिंग के माध्यम से जवाबदेही और विश्वास को मजबूत करना.

एसईएमए की प्रक्रिया का अवलोकन

- **हितधारक पहचान:** बैंक ने प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान की जिनमें उनके प्रभाव, असर, जिम्मेदारी और बैंक के परिचालन के साथ अन्योन्याश्रितता के स्तर के आधार पर निवेशक, कर्मचारी, ग्राहक, समुदाय और विक्रेता शामिल हैं.
- **सहभागिता और परामर्श:** बैंक के ईएसजी कार्यनिष्पादन पर हितधारकों की चिंताओं, अपेक्षाओं और विचारों पर अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस समूह और हितधारक संवाद जैसी विभिन्न सहभागिता विधियों का उपयोग किया गया.
- **भौतिकता विश्लेषण:** हितधारकों और बैंक के कारोबारी संदर्भ के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक ईएसजी विषयों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया. उसके बाद बैंक द्वारा इन भौतिक विषयों की समीक्षा की गई और उन्हें वैध किया गया.

- **उद्देश्य निर्धारण:** 200 से अधिक हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, बैंक ने एक भौतिकता मैट्रिक्स स्थापित किया है जो ईएसजी जोखिमों और अवसरों की पहचान करता है.

मुख्य परिणाम

- **हितधारकों की गहन सहभागिता:** इस प्रक्रिया से सार्थक और सतत् संवाद संभव हुआ, रिश्ते मजबूत हुए और विश्वास बढ़ा.
- **सूचित निर्णय लेना:** हितधारक प्रतिक्रिया से महत्वपूर्ण ईएसजी मुद्दों और कारोबारी जोखिमों की बेहतर समझ संभव हुई.
- **लक्षित संधारणीयता लक्ष्य:** बैंक हितधारकों की अंतर्दृष्टि को स्पष्ट, प्रासंगिक संधारणीयता उद्देश्यों और लक्ष्यों को बदलने का प्रयास करेगा.
- **रणनीतिक संरेखण:** निष्कर्षों को बैंक की व्यापक संधारणीयता रणनीति में शामिल किया गया है ताकि उच्च-प्रभाव वाली पहलों को प्राथमिकता दी जा सके.

2. उन स्टेक धारक समूहों की सूची जिन्हें आपकी संस्था के लिए प्रमुख स्टेकधारक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और प्रत्येक स्टेक धारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति:

क्र. सं	स्टेक धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है (हाँ /नहीं)	संप्रेषण के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापनों, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ तिमाही/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित ऐसी जुड़ाव का उद्देश्य और उनका दायरा
1.	ग्राहक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत और आभासी बैठकें	जारी	• उत्पाद और सेवा अपडेट • शिकायत निवारण • प्रतिक्रिया
2.	समुदाय	नहीं	ईमेल, फ़ोन कॉल, व्यक्तिगत और आभासी बैठकें	आवश्यकता आधारित	• समुदाय प्रतिक्रिया • शिकायत संकल्प • सुधार क्षेत्रों की पहचान करना
3.	कर्मचारी	नहीं	इंट्रानेट, ईमेल, टाउन हॉल, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिकायत चैनल	नियमित	• नीति और दिशानिर्देशों का प्रसार • प्रतिक्रिया • कार्यनिष्पादन प्रबंधन • कौशल उन्नयन • शिकायत निवारण
4.	निवेशक	नहीं	ईमेल, वेबसाइट, एजीएम, निवेशक संबंध चैनल	आवश्यकता आधारित	• रणनीति अपडेट • वित्तीय कार्यनिष्पादन प्रकटन • निवेशक शिकायतें
5.	विक्रेता और आपूर्तिकर्ता	नहीं	ईमेल, वेबसाइट, व्यक्तिगत एवं आभासी बैठकें	आवधिक	• सम्यक तत्परता • कार्यनिष्पादन समीक्षा • अनुपालन निगरानी

नेतृत्व के संकेतक

1. स्टेकधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है.

बैंक ने पारदर्शिता और समावेशी प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक हितधारक प्रतिबद्धता और भौतिकता मूल्यांकन (एसईएमए) प्रक्रिया शुरूकी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी संधारणीयता पहल इसके हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं. एसईएमए प्रक्रिया में कई प्रमुख चरण शामिल हैं, अर्थात्:

- **हितधारकों की पहचान:** बैंक ने निवेशकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदायों और विक्रेताओं सहित अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान उनके प्रभाव, असर, जिम्मेदारी और बैंक के साथ अन्योन्याश्रितता के आधार पर की है.
- **जुड़ाव और परामर्श:** बैंक इन हितधारकों के साथ सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस समूह और हितधारक संवाद जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ा हुआ है ताकि बैंक के संधारणीय प्रदर्शन और प्रथाओं के संबंध में उनके दृष्टिकोण, चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा जा सके.
- **भौतिकता विश्लेषण:** भौतिकता विश्लेषण के माध्यम से, बैंक ने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) मुद्दों की पहचान की जो उसके कारोबार और हितधारकों के लिए प्रासंगिक हैं. इस विश्लेषण से बैंक को अपने संधारणीय प्रयासों को प्राथमिकता देने और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली जो उसके हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनके कारोबार पर सबसे अधिक संभावित प्रभाव पड़ता है. इसे अंतिम रूप देने से पहले बैंक द्वारा प्रमुख विषयों की समीक्षा की गई.
- **उद्देश्य निर्धारण:** अपने विविध हितधारक समूहों से 200 से अधिक उत्तर दाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया से बैंक को महत्वपूर्ण भौतिक मुद्दों और संबंधित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में सहायता मिली है.

एसईएमए प्रक्रिया ने अपने हितधारकों के साथ सार्थक संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान की जिससे मजबूत रिश्ते और विश्वास को बढ़ावा मिला. एसईएमए प्रक्रिया के प्रमुख एवं प्रासंगिक विवरण, इसके उद्देश्य और परिणाम बीआरएसआर में संक्षेप में दिए गए हैं.

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान करने और प्रबंधन के लिए स्टेकधारक परामर्श की सहायता ली जाती है? (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो इस बात का ब्योरा प्रस्तुत करें कि किस प्रकार स्टेकधारकों से इन विषयों पर प्राप्त जानकारी को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में किस प्रकार शामिल किया गया.

बैंक की पर्यावरणीय और सामाजिक प्राथमिकताओं की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने में हितधारक परामर्श ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, बैंक उन प्रमुख ईएसजी मुद्दों को निर्धारित करने में सक्षम रहा है जो इसके हितधारकों और कारोबार संचालन दोनों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं. इस अंतर्दृष्टि ने बैंक के स्थिरता केन्द्रित क्षेत्रों को आकार देने और इसकी सहभागिता रणनीति को मजबूत करने में मदद की है. हितधारक पहचान प्रक्रिया गतिशील रही है और बैंक के कारोबारी माहौल और हितधारक अपेक्षाओं में बदलावों को प्रतिबिंबित करने के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है, जिससे निरंतर प्रासंगिकता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है.

3. कमजोर /सीमांत स्टेकधारक समूहों के मुद्दों का निवारण करने के लिए नियोजित और कार्रवाई करने की घटनाओं के विवरण प्रदान करें.

बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से, विभिन्न खंडों के अपने ग्राहकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करता है. बैंक अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है. इसके अलावा, बैंक अपने वित्तीय समावेशन और सीएसआर पहलों के माध्यम से वंचित वर्ग के जीवन में बदलाव लाने पर विशेष बल देता है.

बैंक ने ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और सीएसआर लाभार्थियों सहित अपने प्रमुख हितधारकों की शिकायतों और चिंताओं के निवारण के लिए तंत्र स्थापित किए हैं. इनका समाधान संरचित शिकायत निवारण नीतियों और समर्पित चैनलों के माध्यम से किया जाता है. मूल्य श्रृंखला भागीदारों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए, चिंताओं को मामला-दर- मामला आधार पर संभाला जाता है ताकि जिम्मेदार और समावेशी प्रथाओं के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप समय पर और उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को संस्था के मानवाधिकारों के मुद्दों और नीति(यों) पर दिये गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (बी)	प्रतिशत (बी /ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	प्रतिशत (डी /सी)
कर्मचारी						
स्थायी	16,911	16,447	97.26%	16,326	15,747	96.45%
स्थायी से इतर	2,176	1,955	89.84%	1,965*	1,614	82.14%
कुल	**19,087**	**18,402**	**96.41%**	**18,291**	**17,361**	**94.92%**
कामगार						
स्थायी	644	537	83.39%	721	664	92.09%
स्थायी से इतर	0	0	-	0	0	-
कुल	**644**	**537**	**83.39%**	**721**	**664**	**92.09%**

** - टिप्पणी: परामर्शदाता को शामिल न करने के कारण कर्मचारियों की संख्या संशोधित की गई.*

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को अदा की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्योरा :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	प्रतिशत (बी/ए)	संख्या (सी)	प्रतिशत (सी/ए)		संख्या (ई)	प्रतिशत (ई/डी)	संख्या (एफ)	प्रतिशत (एफ़/डी)
स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	11,123	0	-	11,123	100.00%	10,920	0	-	10,920	100.00%
महिला	5,788	0	-	5,788	100.00%	5,406	0	-	5,406	100.00%
स्थायी कर्मचारियों से इतर										
पुरुष	1,210	0	-	1,210	100.00%	1,088	0	-	1,088	100.00%
महिला	966	0	-	966	100.00%	877*	0	-	877*	100.00%
स्थायी कामगार										
पुरुष	487	0	-	487	100.00%	553	0	-	553	100.00%
महिला	157	0	-	157	100.00%	168	0	-	168	100.00%
स्थायी कामगारों से इतर										
पुरुष	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-

*टिप्पणी: * - परामर्शदाता को शामिल न करने के कारण कर्मचारियों की संख्या 878 से संशोधित कर 877 की गई.*

3. **निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी का ब्योरा:**

क. **माध्यिका पारिश्रमिक/ मजदूरी:**

श्रेणी	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका पारिश्रमिक वेतन / मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका पारिश्रमिक वेतन / मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	9#	₹ 34,60,000.00/-	1@	₹ 34,60,000.00/-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	3$	₹ 1,23,13,678.13/-	2	₹ 54,13,780.81/-
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	13,532	₹ 20,35,197.03/-	7,435	₹ 16,69,380.97/-
कामगार	319	₹ 10,10,319.59/-	38	₹ 10,96,532.04/-

टिप्पणी:

** - माध्यिका पारिश्रमिक की गणना के लिए विचार किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या में मार्च 2025 के अंत में वेतन प्राप्त करने के लिए पात्र सभी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी (जो सेवानिवृत्ति/ इस्तीफा/ मृत्यु/ सेवा से हटाए जाने के कारण बैंक छोड़ चुके हैं) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष के दौरान वेतन भुगतान किया गया था.*

 # - निदेशक मंडल के विवरण में एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी के विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उनका विवरण प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है लेकिन बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और बैठक शुल्क का विवरण प्रदान किया गया है. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क प्राप्त नहीं होता है और इसलिए उन्हें बाहर रखा गया है. निदेशकों की कुल संख्या में श्री मुकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं जो 9 फरवरी 2025 से निदेशक नहीं हैं. गणना में 10 फरवरी 2025 से श्री सत पाल भानू द्वारा बैठकों में उपस्थित होने के लिए एलआईसी को भुगतान किया गया बैठक शुल्क शामिल नहीं है.

@ - माध्यिका की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि निदेशक मंडल में एक महिला प्रतिनिधि है.

$ - श्री सुमित फक्का, डीएमडी 15 जुलाई 2024 से बैंक में नियुक्त किए गए थे.

ख. **संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी जाने वाली सकल मजदूरी निम्नलिखित प्रारूप में:**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	30.82%	30.50%

4. **क्या आपका कोई ऐसा केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो कारोबार द्वारा उत्पन्न अथवा के योगदान द्वारा मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां /नहीं)**

हां, बैंक ने मानवाधिकार नीति बनायी है, जो कर्मचारियों सहित सभी स्टेकधारकों पर लागू होती है. नीति में व्यापक रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा,

(ii) कार्यबल विविधता,

(ii) बाल श्रम और जबरन श्रम का निषेध,

(iv) उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल,

(v) मानव गरिमा,

(vi) न्यूनतम मजदूरी और लाभ,

(vii) कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया और शिकायतें, तथा

(viii) कारोबार में नैतिक आचरण.

बैंक के पास लागू आचरण नियमों/नीतियों में सक्षम प्रावधान हैं जो ऐसे मुद्दों का समाधान प्रदान करते हैं.

5. मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें.

बैंक उस मूल्यवान भूमिका को स्वीकार करता है जो बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों के दीर्घकालिक संरक्षण में कारोबार निभा सकते हैं. इन मूलभूत सिद्धांतों के प्रति बैंक का समर्थन बैंक की नीतियों और उसके स्टेकधारकों के प्रति निभाये गये कार्यों में परिलक्षित होता है. बैंक ने कर्मचारी द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात आई-हृदयो चालू किया है, भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत निवारण समिति गठित की है. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है. बैंक ने मानवाधिकार नीति भी लागू की है जो कर्मचारियों सहित सभी स्टेकधारकों पर भी लागू होती है.

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	12	4	-	9	3	-
कार्यस्थल पर भेद भाव	4	1	-	8	1	-
बाल श्रमिक	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम / अनिछुक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मजदूरी	1	शून्य	-	1	1	-
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मामले	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

टिप्पणी: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण से संबन्धित शिकायतों में आई-हृदयो प्रणाली और जीआरसी के माध्यम से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं.

7. निम्नलिखित प्रारूप में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच)के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	12	9
महिला कर्मचारी/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच शिकायतें	0.18%	0.14%
पीओएसएच संबंधी शिकायतों को सही पाया गया	2	0

8. भेदभाव और उत्पीड़न मामलों में शिकायतकर्ताओं को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.

बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है, जो कार्यस्थल पर देखे गये अनैतिक आचरण, कदाचार, गलत कामों आदि का अत्यधिक गोपनीय तरीके से एक पोर्टल जिसे केवल नामित अधिकारी ही देख सकते हैं, के माध्यम से प्रकटन करने के लिए सभी कर्मचारियों को एक ढांचा उपलब्ध कराती है और इसके लिए उन्हें शक्तियां भी प्रदान करती हैं. व्हिसल ब्लोअर ऐसे मुद्दों/शिकायतों को ई-मेल के माध्यम से बैंक को भेज सकते हैं. व्हिसल ब्लोअर द्वारा भेजे गए मेल को केवल एक प्राधिकृत व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है. नामित अधिकारी प्राप्त शिकायत/मुद्दों को अत्यंत गोपनीय बनाये रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दे के सभी विवरण और व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाए. व्हिसल ब्लोअर भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोपों की शिकायत या प्रकटन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से भी संपर्क कर सकता है. बैंक द्वारा पीओएसएच दिशानिर्देश भी कार्यान्वित किए गए है. बैंक की मानवाधिकार नीति मानवाधिकारों की रक्षा करने और काम के माहौल को उत्पीड़न मुक्त बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

9. क्या मानवाधिकार की अपेक्षाएं आपके कारोबारी करारों और संविदाओं का हिस्सा होती हैं? (हाँ/नहीं)

हां, विक्रेताओं के साथ बैंक के कारोबारी करार और संविदाएं दूसरे पक्ष को समय-समय पर जारी किए गए श्रम और औद्योगिक मामलों सहित सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का पालन करने के लिए निर्धारित करते हैं. सांविधिक एजेंसियों और बैंक द्वारा लागू सभी सुरक्षा उपाय तथा श्रम और औद्योगिक कानून संविदा के निष्पादन में लागू होंगे और अन्य पक्ष इन कानूनों का पालन करेगा. अन्य पक्ष कार्मिक, कार्य और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक या उचित उपाय करेगा और सभी उचित सुरक्षा नियमों और निर्देशों का पालन करेगा. इसी तरह, उधारकर्ता के साथ ऋण करारों में बैंक यह पुष्टि चाहता है कि जिसमें बिना किसी सीमा के, भविष निधि या श्रम बकाया जैसे कोई बकाया दावा या देनदारियाँ नहीं हैं जो इस प्रकार मानवाधिकारों की रक्षा करता है.

10. वर्ष में मूल्यांकन:

	आपके प्लांट और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रमिक	100.00%
जबरन /अनैच्छिक श्रमिक	100.00%
यौन उत्पीड़न	100.00%
कार्य स्थल पर भेद भाव	100.00%
मजदूरी	100.00%
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

11. उपर्युक्त प्रश्न 9 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/ मुद्दों का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयों के विवरण प्रदान करें.

मूल्यांकन से कोई जोखिम/मुद्दा उत्पन्न नहीं हुआ.

नेतृत्व के संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/ मुद्दों के निपटाने के परिणामस्वरूप संशोधित की जा रही/ लागू की गयी कारोबारी प्रक्रिया का ब्योरा.

बैंक ने ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं ही है जिसमें मौजूदा प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता हो. हालांकि मानवाधिकारों संबंधी शिकायतों या मुद्दों का कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन बैंक मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए नियमित आधार पर अपनी नीतियों और कारोबारी प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा और निगरानी करता है.

2. किसी भी मानवाधिकार के मामले में सम्यक तत्परता का दायरा और व्याप्ति संबंधी विवरण दें.

बैंक ने किसी भी मानवाधिकार के मामले में सम्यक तत्परता अभी तक आयोजित नहीं की है.

3. क्या संस्था का परिसर/ कार्यालय दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुँच योग्य हैं?

बैंक अपने परिसर/कार्यालयों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने अपने परिसर में जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की है. 31 मार्च 2025 को बैंक की 2,104 शाखाएं थीं जिनमें से (24 आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट को छोड़कर) 1,044 शाखाओं में रैंप की सुविधा है. 294 शाखाओं में रैंप सुविधा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन शाखाओं का प्रवेश द्वार सड़क के समानांतर है या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 766 शाखाएं ऊपरी मंजिल पर स्थित हैं और इसलिए इन शाखाओं में रैंप की सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है.

4. मूल्य शृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा :

	मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य के रूप में) जिनका मूल्यांकन किया गया है:
बाल श्रमिक	बैंक अपने मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए इन पहलुओं का मूल्यांकन करने की प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने इन पहलुओं के अनुपालन के बारे में 57 मूल्य शृंखला भागीदारों से स्व-घोषणाएँ एकत्र की हैं
जबरन / अनैच्छिक श्रमिक	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

मूल्यांकन के दौरान कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिताएं नहीं पाई गई.

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा तथा बहाल करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में ऊर्जा की कुल खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का ब्योरा:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (ए) (जीजे)	लागू नहीं	लागू नहीं
ईंधन की कुल खपत (बी) (जीजे)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) (जीजे)	लागू नहीं	लागू नहीं
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (ए+बी+सी) (जीजे)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (डी) (जीजे)	2,86,034.83	69,547.60
ईंधन की कुल खपत (ई) (जीजे)	24,539.11	3,873.57
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ़) (जीजे)	0	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (डी+ई+एफ़) (जीजे)	**3,10,573.94**	**73,421.16**
ऊर्जा की कुल खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़) (जीजे)	**3,10,573.94**	**73,421.16**
प्रत्येक ₹ (करोड़) के कारोबार के प्रति ऊर्जा की तीव्रता (ऊर्जा की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व रुपयों में) (प्रत्येक भारतीय रुपया करोड़ में जीजे)	9.18	2.44
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रत्येक ₹ के कारोबार के प्रति ऊर्जा की तीव्रता (पीपीपी) (ऊर्जा की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व को पीपीपी के लिए समायोजित) (प्रत्येक मिलियन यूएसडी में जीजे)	18.97	5.42
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)	10.01	-
ऊर्जा की तीव्रता (वैकल्पिक) - पूर्णकालिक कर्मचारी	-	4.31

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां'' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

*टिप्पणी: *-वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऊर्जा डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के साथ तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ने अपनी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों की ऊर्जा की खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऊर्जा डेटा में निम्नलिखित 18 स्थानों में वास्तविक खपत से प्राप्त डेटा शामिल है, अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ़, हैदराबाद और 15 अंचल कार्यालयों तथा 2,128 शाखाओं और 238 कार्यालयों के लिए अनुमानित डेटा सेबी द्वारा अधिसूचित व्यय-आधारित प्रणाली के आधार पर गणना की गई. व्यय-आधारित पद्धति का उपयोग करके बिजली से ऊर्जा की गणना करने के लिए सीईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम 2024 टैरिफ को प्रयुक्त किया गया है. डीजल और पेट्रोल से ऊर्जा की गणना के लिए पर्यावरण, खाद्य एवं ग्रामीण मामलों के विभाग (डीईएफआरए) के अनुसार निवल कैलोरी मान (एनसीवी) और घनत्व को अपनाया गया है. भारतीय रूपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व ब्याज आय और भूमि, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) द्वारा प्रकाशित 20.66/यूएसडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के रूप में प्रकट किया था और भारतीय रुपया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रुप में वर्गीकृत किया गया था.*

^ - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 17 स्थानों अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ़, हैदराबाद और 14 अंचल कार्यालयों के लिए ऊर्जा की खपत पर विचार किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के लिए ऊर्जा डेटा की रिपोर्ट नहीं की गई है.

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/ सुविधाएं हैं? (हां/ नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है. यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गयी सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जानकारी प्रदान करें.

लागू नहीं.

3. निम्नलिखित प्रारूप में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का ब्योरा प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
(i) भूपृष्ठीय जल	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) अन्य पक्ष जल	3,33,091.94	1,08,029.14
(iv) समुद्री जल/ अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य (वर्षा जल संग्रहण)	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलो लीटर्स में) (i + ii + iii + iv + v)	3,33,091.94	1,08,029.14
जल की खपत की कुल मात्रा (किलो लीटर्स में)	**3,33,091.94**	**1,08,029.14**
प्रति ₹ टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (जल की खपत/ परिचालनों से राजस्व) (किलो लीटर्स प्रति करोड़ भारतीय ₹)	9.85	3.60
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति ₹ टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (जल की कुल खपत/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व) (प्रति मिलियन यूएसडी में जीजे)	20.34	7.97
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता (कुल जल खपत/पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)	10.74	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - पूर्णकालिक कर्मचारी	-	6.34

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

*टिप्पणी: *- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जल की खपत का डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के डेटा से तुलनीय नहीं है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ने अपनी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों की जल खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, अन्य पक्ष के पानी में 18 स्थानों अर्थात बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 15 अंचल कार्यालय के लिए बोतलबंद / पैकेज्ड पानी और 7 स्थानों अर्थात बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु कोच्चि और चंडीगढ़ में अंचल कार्यालय के लिए स्थानीय निकायों द्वारा आपूर्ति किया गया घरेलू पानी शामिल है. अन्य 11 स्थानों के लिए, जहां घरेलू जल खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जल खपत का अनुमान सूत्र (कर्मचारियों, कामगारों और संविदा कर्मचारियों के लिए 20 लीटर प्रति कर्मचारी x कार्य दिवस) के आधार पर लगाया गया है. अन्य स्थानों अर्थात 2,128 शाखाओं और 238 कार्यालयों के लिए, जहां पानी के बिल उपलब्ध नहीं हैं, सेबी द्वारा अधिसूचित पद्धति के आधार पर निम्नलिखित सूत्र (कर्मचारियों, कामगारों और संविदा कर्मचारियों के लिए 45 लीटर x कार्य दिवस) के आधार पर पानी की खपत का अनुमान लगाया गया है. कर्मचारियों और कामगारों के मामले में कार्य दिवसों की संख्या उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर निर्धारित की गई है. संविदा कर्मचारियों के मामले में, जहां वास्तविक उपस्थिति उपलब्ध नहीं है, कार्य दिवसों की संख्या की गणना वर्ष के 365 दिनों में से राज्यवार छुट्टियों को छोड़कर की गई है. जल अनुमान में मार्केटिंग सेवाओं के लिए नियोजित संविदा कर्मचारी शामिल नहीं हैं. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व ब्याज आय और भूमि, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) द्वारा प्रकाशित 20.66/यूएसडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के रूप में प्रकट किया था और भारतीय रुपया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रूप में वर्गीकृत किया गया था.*

^ - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 17 स्थानों के जल की खपत पर विचार किया गया अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसके कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 14 अंचल कार्यालय. अन्य पक्ष के जल में स्थानीय निकायों द्वारा जल की आपूर्ति की गई और 6 स्थानों के लिए बोतलबंद/ पैकेज्ड जल शामिल था, अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसके कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 3 अंचल कार्यालय और 11 कार्यालयों के लिए अनुमानित डेटा जिनके जल के बिल उपलब्ध नहीं थे निम्नलिखित सूत्र (45 लीटर x 31 मार्च, 2024 को कर्मचारियों की संख्या x 360 दिन) के आधार पर की गई. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के ऊर्जा डेटा रिपोर्ट नहीं किये गये.

4. **जल छोड़ने से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
गंतव्य से जल छोड़ने और उपचार का स्तर (किलो लीटर्स में)			
(i) भूपृष्ठीय जल में	एम^3	बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में, बेलापुर में इसके कार्यालय और आईसीबीएफ, हैदराबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया है. उपचार किये गए जल को प्रधान कार्यालय तथा बेलापुर कार्यालय में वातानुकूलन संयंत्र में दोबारा प्रयोग में लाया जाता है. उपचार किये गए जल को आईसीबीएफ में बागवानी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है. ये उपाय जल संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं तथा संधारणीय परिचालनों में योगदान देते हैं.*	
- कोई उपचार नहीं	एम^3		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम^3		
(ii) भूजल में	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3		
- उपचार के साथ- कृपया प्रबंध का स्तर निर्दिष्ट करें	एम^3		
(iii) समुद्री जल में	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम^3		
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम^3		
(v) अन्य	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	एम^3		
जल की कुल निकासी (किलो लीटर्स में)	एम^3		

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

टिप्पणी:- जिन स्थानों पर एसटीपी उपलब्ध है, वहां ताजे पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए उपचारित पानी का पुनः उपयोग किया जाता है. बैंक के प्रधान कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों/शाखाओं में प्रवाह मीटर की अनुपलब्धता के कारण जल निर्वहन को मापा नहीं जाता है और इस संबंध में डेटा नहीं रखे जा रहे हैं. इसके अलावा, चूंकि जल निर्वहन का अनुमान लगाने के लिए कोई मानकीकृत दिशानिर्देश नहीं हैं, इसलिए बैंक जल निर्वहन का अनुमान लगाने में असमर्थ है. अपशिष्ट जल को संबंधित स्थानों पर नगरपालिका के सीवरों के माध्यम से छोड़ा जाता है.*

5. **क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है ? यदि हां, तो इसकी व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण दें.**

बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में, बेलापुर में इसके कार्यालय और आईसीबीएफ, हैदराबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया है. उपचार किये गए जल को प्रधान कार्यालय तथा बेलापुर कार्यालय में वातानुकूलन संयंत्र में दोबारा प्रयोग में लाया जाता है. उपचार किये गए जल को आईसीबीएफ में बागवानी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है. ये उपाय जल संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं तथा संधारणीय परिचालनों में योगदान देते हैं.

6. **कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एनओएक्स	mg/m3	लागू नहीं	2,856.88
एसओएक्स	mg/m3	लागू नहीं	1.18
कणिका तत्व (पीएम)	mg/m3	लागू नहीं	150.36
अनवरत जैविक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हानिकारक हवा प्रदूषक (एचएपी)	mg/m3	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	पीपीएम	लागू नहीं	लागू नहीं

7. कृपया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
क्षेत्र 1 का कुल उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6, NF3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).	**tCO2e**	2,360.87	285.97
क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF6, NF3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).	**tCO2e**	57,763.14	13,832.24
क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन	**tCO2e**	**60,124.01**	**14,118.21**
प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / परिचालनों से राजस्व)	**tCO2e/ INR crore**	1.78	0.47
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	**tCO2e/ million USD**	3.67	1.04
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन की तीव्रता (कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 जीएचजी उत्सर्जन/पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)	**-**	1.94	-
क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन की तीव्रता (वैकल्पिक) पूर्णकालिक कर्मचारी	**-**	-	0.83

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं). यदि ‘‘हां ’’ तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

*टिप्पणी: *- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएचजी उत्सर्जन डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के डेटा से तुलनीय नहीं है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ने अपनी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों की ऊर्जा खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएचजी उत्सर्जन -क्षेत्र 1 में सभी स्थानों (स्वामित्व वाले वाहन और डीजल जनरेटर) पर खरीदे गए ईंधन से उत्सर्जन और बैंक के प्रधान कार्यालय में अग्निशामक यंत्रों से होने वाला उत्सर्जन शामिल है. इसकी 2,128 शाखाओं और 255 कार्यालयों में अग्निशामक यंत्रों से होने वाले धूम्र उत्सर्जन को शामिल नहीं किया जाता है. इसकी सभी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों से होने वाले धूम्र उत्सर्जन को शामिल नहीं किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएचजी उत्सर्जन - क्षेत्र 2 में इसकी 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों में बिजली की खरीदी से होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं. डीजल और पेट्रोल के लिए उत्सर्जन कारक उद्योग मानकों पर सेबी परिपत्र के अनुसार अपनाए गए हैं. खरीदी गई बिजली के लिए उत्सर्जन कारक को सीईए द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए CO2 बेसलाइन डेटाबेस से लिया गया है. भारतीय रूपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से राजस्व ब्याज आय और भूमि, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) द्वारा प्रकाशित 20.66/यूएसडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के रूप में प्रकट किया था और भारतीय रूपया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रूप में वर्गीकृत किया गया था.*

^ - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 17 स्थानों अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, आईसीबीएफ, हैदराबाद और 14 अंचल कार्यालय के लिए ऊर्जा खपत पर विचार किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के ऊर्जा डेटा की रिपोर्ट नहीं किये गये. वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्सर्जन कारक को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (आईपीसीसी) से लिया गया था.

8. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि ’’हाँ’’, तो विवरण दें.

हाँ. बैंक ने ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए पहल कार्य और जागरूकता अभियान चलाया है. अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

- प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना और बिजली की लाइटों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है.
- शाखाओं और कार्यालयों में पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के स्थान पर एलईडी प्रकाश से प्रतिस्थापन करना.
- सेंट्रल एसी/ डक्ट एसी/ स्प्लिट एवं विंडो एसी के माध्यम से एसी कमरे का तापमान $25^{0}C$ पर बनाये रखना.

- जब उपयोग में ना हो तब केबिन्स और बैक ऑफिस की सभी लाइट बंद करना.
- डेस्कटॉप/ पीसी 30 मिनिट से अधिक तक उपयोग में न होने पर उसे बंद करना.
- टेलीविजन, फोटोकॉपियर, श्रेडर मशीन और अन्य व्यावसायिक स्वचालित उपकरणों को उपयोग में न होने पर बंद करना.
- सभी उपकरणों का वार्षिक रखरखाव अनुबंधों का समय पर नवीकरण करना.
- हैदराबाद के बासरा क्वार्टरों में 100 केडबल्यूपी का सौर संयंत्र चालू किया गया है. चेंबूर कॉरपोरेट पार्क और भुवनेश्वर अंचल कार्यालय में क्रमश: 30 केडबल्यूपी और 10 केडबल्यूपी का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है. आईसीबीएफ़ परिसर में सौर पैनलों द्वारा संचालित जल संयंत्र स्थापित किए गए हैं.
- बोर्ड की बैठकों के ज्ञापनों के आवागमन का डिजिटलीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ए4 शीट की बचत हुई और वर्ष 2023-24 के लिए 4.27 tCO2e कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सका.
- क्रेडिट कार्ड विवरण के डिजिटलीकरण से वर्ष 2023-24 में 4.66 tCO2e कार्बन उत्सर्जन से बचने में मदद मिली.
- भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) के हरित प्रमाणन के साथ आईसीबीएफ में नए परिसर की विकास परियोजना पर कार्य चल रहा है और दिसंबर 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है.
- इसके अलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है, जिससे जीएचजी कटौती में सकारात्मक योगदान मिलता है. अपनी वित्तीय गतिविधियों पर पर्यावरणीय प्रभाव को समझने और प्रबंध करने के लिए बैंक ने बैंक के एक नमूना पोर्टफोलियो के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना की, जिससे इसके ऋण और निवेश पोर्टफोलियो के एक हिस्से से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट का स्पष्ट छायाचित्र मिलता है.
- जलवायु जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए, बैंक ने त्रैमासिक जलवायु जोखिम समाचार पत्र के दो संस्करण प्रकाशित किए हैं. इन समाचार पत्रों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्व और इसके प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से लेख और जानकारी शामिल है.

9. संस्था द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2023-24^
उत्पन्न कुल कचरा (मेट्रिक टनों में)		
प्लास्टिक कचरा (ए)	4.30	4.99
इलेक्ट्रॉनिक कचरा (बी)	38.22	21.88
जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)	0	0
निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)	69.00	2.61
बैटरी कचरा (ई)	90.62	0
रेडियो एक्टिव कचरा (एफ)	0	0
अन्य हानिकारक कचरा,यदि कोई हो, कृपया निर्दिष्ट करें (जी)	0	0
उत्पन्न हुआ अन्य गैर हानिकारक कचरा *(एच)यदि कोई हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें.* (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार ब्योरा)	**206.57**	**125.37**
कुल (ए +बी +सी +डी +ई +एफ +जी +एच)	408.71	154.85
प्रति रुपया टर्नओवर पर कचरा तीव्रता (उत्पन्न कुल कचरा/परिचालन से राजस्व) (मैट्रिक टन प्रति मिलियन भारतीय रुपया)	0.01	0.01
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति ₹ टर्नओवर पर कचरे की तीव्रता (उत्पन्न कुल कचरा/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) (मैट्रिक टन प्रति मिलियन भारतीय रुपया)	0.02	0.01
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कचरे की तीव्रता (उत्पन्न कुल कचरा/ पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	0.01	-
कचरा तीव्रता (वैकल्पिक) - पूर्णकालिक कर्मचारी	-	0.01

उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: प्लास्टिक कचरा (ए)		
(i) पुनर्चक्रण	-	-
(ii) पुनःउपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्पाप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: प्लास्टिक कचरा (ए)		
(i) जलाना	-	-
(ii) जमीन में भर देना	-	-
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	4.30	4.99
कुल	**4.30**	**4.99**
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: ई- कचरा (बी)		
(i) पुनर्चक्रण	38.22	21.88
(ii) पुनःउपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	-
कुल	**38.22**	**21.88**
उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: ई- कचरा (बी)		
(i) जलाना	-	-
(ii) जमीन में भर देना	-	-
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: निर्माण एवं विध्वंस कचरा (डी)		
(i) पुनर्चक्रण	-	-
(ii) पुनःउपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: निर्माण एवं विनष्टीकरण कचरा (डी)		
(i) जलाना	-	-
(ii) जमीन में भर देना	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	69.00	2.61
कुल	**69.00**	**2.61**

उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: बैटरी कचरा (ई)		
(i) पुनर्चक्रण	90.62	-
(ii) पुनःउपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	-
कुल	**90.62**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: बैटरी कचरा (ई)		
(i) जलाना	-	-
(ii) जमीन में भर देना	-	-
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे, पुनर्प्राप्ति पद्धति के स्वरूप द्वारा प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-हानिकारक उत्पन्न कचरा (एच)		
(i) पुनर्चक्रण	-	-
(ii) पुनःउपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	-	-
कुल	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे, निपटान पद्धति के स्वरूप द्वारा नष्ट किया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-हानिकारक उत्पन्न कचरा (एच)		
(i) जलाना	-	-
(ii) जमीन में भर देना	-	-
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	206.57	125.37
कुल	206.57	125.37

कृपया उल्लेख करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है?

(हां/नहीं). यदि ''हां '' तो बाहरी एजेंसी का नाम बतायें.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के बीआरएसआर प्रमुख प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

*टिप्पणी: *- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अपशिष्ट से संबन्धित डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के साथ तुलनीय नहीं है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, अपशिष्ट डेटा को निम्नलिखित 5 स्थानों अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसका कार्यालय, अहमदाबाद,भोपाल और नागपुर अंचल कार्यालयों के लिए विचार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट डेटा 2,128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए रिपोर्ट किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय के निर्माण और नष्ट अपशिष्ट का डेटा रिपोर्ट किया गया है. भारतीय रूपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से राजस्व ब्याज आय और भूमि, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. आईएमएफ (विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) द्वारा प्रकाशित 20.66/यूएसडी के रूपांतरण कारक का उपयोग तीव्रता-समायोजित क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की गणना के लिए किया गया है, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)पर आधारित भौतिक उत्पादन के संदर्भ में तीव्रता का प्रकटन किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी तीव्रता को वैकल्पिक के रूप में प्रकट किया था और भारतीय रूपया टर्नओवर द्वारा तीव्रता को भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रूप में वर्गीकृत किया गया था.*

^ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3 स्थानों - बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय और आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज - के अपशिष्ट डेटा पर विचार किया गया था.

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गयी कचरा प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें. अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी की रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंध के लिए अपनायी गई प्रथाओं का वर्णन करें.

चूंकि बैंक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालन करता है, इसलिए ई-कचरा सबसे अधिक उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे में से एक है. बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नीति बनायी है जिसमें सभी कार्यालयों और शाखाओं को शामिल किया गया है. बैंक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा निर्धारित निपटान दिशा-निर्देशों का पालन करता है, जिसमें यह सुनिश्चित करता है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होने के 180 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाये. सभी ई-कचरे का निपटान केवल पंजीकृत/ अधिकृत रिसाइकिलर्स को ही किया जाता है. बैंक ने उत्पन्न और निपटाए गए ई-कचरे पर नज़र रखने के लिए एक प्रणाली भी शुरू की है.

11. यदि संस्था के परिचालन/ कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अथवा उसके आस पास स्थित हैं, (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल भंडार, झीलों, जैव विविधता हॉटस्पॉट,वन,तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/ मंजूरी आवश्यक है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते बैंक पर यह प्रश्न लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक संधारणीय तरीके से काम करने का प्रयास करता है और प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों जैसे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/ उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध निर्धारित करती है. इसके अलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है.

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण:

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम (हाँ/ नहीं) यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानूनों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालक है, जैसे कि जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.

क्रम संख्या	उस कानून/ विनियम/ दिशानिर्देश का उल्लेख करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर अनुपालन का ब्योरा प्रस्तुत करें	विनियामक एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अदालतों द्वारा लगाया गया दंड/ जुर्माना/ की गई कार्रवाई आदि	की गई सुधारात्मक कार्रवाई,यदि कोई हो

शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. 'जल संकट' वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलो लीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/ संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

i. क्षेत्र का नाम

ii. परिचालन की प्रकृति

iii. निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलो लीटर में)			
(i) भू-पृष्ठ जल	एम^3	-	-
(ii) भू-जल	एम^3	-	-
(iii) अन्य पक्ष जल	एम^3	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	एम^3	-	-
(v) अन्य	एम^3	-	-

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	एम^3	-	-
जल के खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	एम^3	-	-
प्रति रुपया टर्नओवर के लिए जल की तीव्रता (खपत किया गया जल/ टर्नओवर)	राजस्व का प्रति करोड़ रुपये किलो लीटर	-	-
जल की तीव्रता *(वैकल्पिक)* - संस्था अपनी संबंधित मेट्रिक चुन सकती है		-	-
गंतव्य द्वारा जल निर्वहन और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)			
(i) **भू-पृष्ठ जल में**	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम^3	-	-
(ii) **भू-जल में**	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम^3	-	-
(iii) **समुद्री जल में**	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम^3	-	-
(iv) **अन्य-पक्षों को भेजा गया**	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम^3	-	-
(v) **अन्य**	एम^3		
- कोई उपचार नहीं	एम^3	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	एम^3	-	-
छोड़ा गया कुल जल (किलोलीटर में)			

2. कृपया कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन एवं उसकी तीव्रता का ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल क्षेत्र 3 का उत्सर्जन जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करें, यदि उपलब्ध है)	tCO2e	1,573.92	उपलब्ध नहीं
प्रति रुपया कारोबार पर कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन तीव्रता (कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन/ परिचालन से राजस्व) (tCo2e प्रति करोड़ भारतीय रुपये में)	tCO2e/ भारतीय रुपया	0.05	उपलब्ध नहीं
कुल क्षेत्र 3 की उत्सर्जन तीव्रता *(वैकल्पिक)* - भौतिक उत्पादन के संदर्भ में (कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन/पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई)	tCO2e एफटीई	0.05	उपलब्ध नहीं

*टिप्पणी: * - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, क्षेत्र 3 उत्सर्जन की गणना व्यय के आधार पर व्यावसायिक यात्रा श्रेणी (केवल हवाई यात्रा शामिल) के लिए की गई है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालन से राजस्व ब्याज आय और भूमि, भवन और अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री के लाभ/ (हानि) को छोड़कर अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है.*

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट की गई पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ जैव-विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्योरा प्रदान करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक संधारणीय तरीके से काम करने का प्रयास करता है और प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों जैसे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध निर्धारित करती है. इसके अलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है.

4. यदि संस्था ने संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने, अथवा उत्सर्जन/ प्रवाह निर्वहन/ उत्पन्न कचरे के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल अथवा किसी अभिनव प्रोद्यौगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसके साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का ब्योरा प्रदान करें:

बैंक ने ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कई पहल कार्य किये हैं. कई परिसरों में ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था लगाई गई है, साथ ही केबिनों में प्रकाश सेंसर भी लगाए गए हैं जो खाली होने पर स्वचालित रूप से लाइट बंद कर देते हैं. कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए जहाँ भी संभव हो, कार्यालयों और शाखाओं में प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है. कर्मचारियों को नियमित रूप से फोटोकॉपियर, टेलीविज़न, प्रिंटर और श्रेडर सहित अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने के लिए जागरूक किया जाता है.

बैंक ने 25°-26°C पर एसी परिचालन को मानकीकृत किया है और मुंबई के प्रधान कार्यालय में पारंपरिक पैकेज एसी को ऊर्जा-कुशल मॉडल से बदल दिया है. इनवर्टर/ वैरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ़) ऊर्जा-कुशल एसी भी चयनित नई शाखाओं और अंचल कार्यालयों में लगाए गए हैं. बैंक अंचल कार्यालयों और प्रमुख शाखाओं में स्वचालित बिजली कारक सुधार (एपीएफ़सी) पैनलों का उपयोग करके पावर फैक्टर को यूनिटी के करीब बनाए रखकर उच्च ऊर्जा कुशलता सुनिश्चित करता है.

ऊर्जा नवीकरण अभिनियोजन में, कॉरपोरेट पार्क कार्यालय (चेंबूर, मुंबई) और भुवनेश्वर अंचल कार्यालय में क्रमशः 30 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) और 10 केडबल्यूपी के सौर ऊर्जा प्लांट कार्यरत हैं. हैदराबाद के बासरा में अधिकारियों के क्वार्टर में 100 केडबल्यूपी का सौर प्लांट चालू किया जा रहा है, जबकि मुंबई के प्रधान कार्यालय में 40 केडबल्यूपी यूनिट स्थापित की जा रही है. बैंक ने भविष्य में सौर ऊर्जा स्थापना के लिए पूरे भारत में 18 स्वामित्व वाली संपत्तियों को भी उद्दिष्ट किया है.

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को और कम करने के लिए, बैंक पुराने फर्नीचर को नया रूप देकर उसका पुनः उपयोग कर रहा है. एसटीपी से प्राप्त रिसाइकल जल का उपयोग बागवानी और एसी कंडेनसर के परिचालन में किया जाता है. बिजली की मरम्मत का काम तुरंत किया जाता है साथ ही एसी सिस्टम का निवारक रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है. ऊर्जा हानि को कम करने के लिए बेलापुर कार्यालय में कैपेसिटर बैंकों को अपग्रेड किया गया है. ये निरंतर प्रयास ऊर्जा संरक्षण और परिचालन संधारणीयता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

5. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में ब्योरा दें/ वेबलिंक प्रदान करें.

मानव जीवन की सुरक्षा और विघटन/आपदा के दौरान बैंकिंग सेवाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक सुनियोजित कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचा तैयार किया है. सभी महत्वपूर्ण विभागों के लिए कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) दस्तावेज़ों में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवसाय विघटन/आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और उसके परिणामी पुनर्प्राप्ति रणनीतियाँ और योजनाएँ शामिल हैं. इसके अलावा, आपदा के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा और मूल्यवान आस्तियों को कम से कम नुकसान पहुँचाने के लिए इसके प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) लागू की गई है. विभिन्न व्यवधान परिदृश्यों के तहत इन योजनाओं की तन्यकता का परीक्षण बीसीपी परीक्षण अभ्यासों, डीआर अभ्यासों और महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए समग्र डीआर अभ्यासों के माध्यम से निरंतर आधार पर किया जाता है और बैंक के स्वामित्व वाले परिसर में मॉक निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं. बैंक की व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301:2019 अनुपालक है. अधिक जानकारी के लिए देखें: (https://www.idbibank.in/pdf/basel/BCM-Disclosure.pdf)

6. संस्था की मूल्य श्रृंखला से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों को प्रकट करें. इस संबंध में इन परिणामों को घटाने अथवा अनुकूलन हेतु संस्था ने क्या उपाय किये हैं.

वर्तमान में, बैंक की मूल्य श्रृंखला के भागीदारों की ओर से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

7. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया.

बैंक अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा पर्यावरण अपेक्षाओं के अनुपालन के मूल्यांकन हेतु प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के 57 मूल्य श्रृंखला साझेदारों से पर्यावरण अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टि करते हुए स्व-घोषणाएँ एकत्र की गईं.

सिद्धांत 7: कारोबार जो सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हो तो उन्हें ऐसा करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. (क) व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्धता की संख्या

बैंक अनेक व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबद्ध है.

(ख) संस्था जिन उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्ध/ सदस्य है, ऐसे 10 प्रमुख उद्योग मंडलों/ संघों (ऐसी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित) की सूची.

क्रम सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों के नाम #	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का विस्तार (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल(एसोचेम)	राष्ट्रीय
2.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
3.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
4.	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल)	राष्ट्रीय
5.	भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा)	राष्ट्रीय
6.	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई)	राष्ट्रीय
7.	भारतीय विदेशी मुद्रा संघ (एफएआई)	राष्ट्रीय
8.	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
9.	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़)	राष्ट्रीय
10.	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)	राष्ट्रीय

 # - नामों की सूची सांकेतिक है परिपूर्ण नहीं.

2. विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था के गैर-प्रतिस्पर्धा आचरण से संबंधित मुद्दों के बारे में की गयी अथवा की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्रदान करें.

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण:

क्रम सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ / नहीं)	बोर्ड द्वारा की गयी समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
बैंक सरकारों, नीति निर्माताओं, विनियामकों, उद्योग निकायों, व्यापार संघों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा में भाग लेकर जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ सार्वजनिक समर्थन में संलग्न है.					

सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर, संस्था द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण :**

   कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार, ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाएं शुरूकरने वाली कंपनियों को प्रभाव मूल्यांकन करना आवश्यक है, बशर्ते परियोजनाएं मूल्यांकन से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो गई हो.

   चूंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा निधिक सीएसआर परियोजनाएं जिनमें ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक का आबंटन शामिल है, ने निर्धारित एक वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है इसलिए इन परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन लागू विनियमों के अनुपालन में बाद के वित्तीय वर्षों में किया जाएगा.

2. **अपनी संस्था द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एवं आर) के लिए चलाई जा रही परियोजना (ओं) से संबंधित जानकारी प्रदान करें:**

   लागू नहीं

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उन शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र का वर्णन करें.**

   बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके सीएसआर पहलों का लाभ सभी लक्षित खंडों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाए. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त किसी भी शिकायत की विधिवत रिपोर्ट बैंक को दी जानी चाहिए. सीएसआर कार्य की देखरेख करने वाले महाप्रबंधक ऐसी शिकायतों की समीक्षा करने और संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. इसके अलावा, शिकायतों और की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सीएसआर, ईएसजी और प्रचार से संबंधित प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाएगी. निवारण प्रक्रिया बैंक की सीएसआर नीति में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप की जाएगी.

4. **स्थानीय या लघु स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं से जुटाई गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के हिसाब से कुल इनपुट की तुलना में इनपुट):**

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एमएसएमई/ छोटे उत्पादकों से प्रत्यक्ष तौर पर जुटाए गए	बैंक खरीद के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित निविदा प्रक्रिया का उपयोग करता है. बैंक स्थानीय विक्रेताओं से स्टेशनरी जैसी उपभोग्य सामग्रियों की खरीद करता है जो प्राथमिक सामग्रियों में से एक है. बैंक विशेष रूप से एमएसएमई और स्थानीय विक्रेताओं से प्राप्त इनपुट सामग्रियों के प्रतिशत का पता लगाने और गणना करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में है.	
भारत के भीतर सीधे तौर पर		

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन: निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/ अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी प्रकट करें:**

स्थान *	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
ग्रामीण	6.14%	6.75%
अर्ध शहरी	13.65%	14.75%
शहरी	22.60%	23.12%
महानगर	57.61%	55.38%

टिप्पणी: स्थान को रिज़र्व बैंक की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में पाए गए नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाईयों का ब्योरा दें. (संदर्भ: ऊपर दर्शाये गए आवश्यक संकेतकों का प्रश्न सं 1):**

   लागू नहीं

2. सरकारी निकायों द्वारा अभिनिर्धारित निर्दिष्ट महत्वाकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा प्रारंभ की गयी सीएसआर परियोजना के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क्रम सं.	राज्य	महत्वाकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि भारतीय रुपयों में
1	आंध्रप्रदेश	विशाखापटनम	70,00,000.00/-
2	बिहार	मुजफ्फरपुर	50,00,000.00/-
3	झारखंड	रांची	19,50,000.00/-
4	केरल	वायनाड	1,15,40,800.00/-
5	मध्यप्रदेश	छतरपुर	2,90,06,725.00/-
6	मध्यप्रदेश	सिंगरौली	3,44,864.00/-
7	ओडिशा	रायगड़ा	29,67,300.00/-
8	ओडिशा	मालकानगिरी	29,67,300.00/-
9	राजस्थान	बाराँ	24,00,000.00/-
	कुल		6,31,76,989.00/-

3. क) क्या आपके पास अधिमानी खरीद नीति मौजूद है जहां आप उपेक्षित/ कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां/ नहीं)

हाँ. बैंक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. में (एनएसआईसी) पंजीकृत वेंडर को बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट देने पर विचार कर रहा है.

ख) किन उपेक्षित /कमजोर समूहों से आप खरीद करते हैं ?

बैंक इस संबंध में डेटा नहीं रखता है. हालाँकि, बैंक एमएसएमई पंजीकृत विक्रेताओं से सेवाएँ / सामान खरीदता है.

ग) यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

बैंक इस संबंध में डेटा नहीं रखता है.

4. आपकी संस्था द्वारा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) अपनी स्वामित्व वाली या अधिगृहीत बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण.

क्रम सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व वाली/ अधिगृहीत (हाँ/ नहीं)	साझा किये गये लाभ (हाँ/ नहीं)	साझा लाभों की गणना का आधार
		लागू नहीं		

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है.

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का ब्योरा.

क्रम. संख्या	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजना का विवरण	सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों की कुल संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों से सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों से सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	आपदा प्रबंधन	600	600	100%
2	शिक्षा	63,911	33,943	53%
3	पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	20,310	17,062	84%
4	लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण	62	52	84%
5	स्वास्थ्य देखभाल	34,82,554	24,81,346	71%
6	इनक्यूबेटर/ अनुसंधान एवं विकास	6	6	100%
7	आजीविका संवर्धन	2,104	2,104	100%
8	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय	2,750	125	5%
9	संस्कृति और कला को बढ़ावा देना	मापने योग्य नहीं		
10	खेलों को बढ़ावा देना	832	832	100%
	कुल	**35,73,129**	**25,36,070**	**71%**

सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उनका जिम्मेदार तरीके से सम्मान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और उनसे फीड बैक प्राप्त करने के लिए तथा उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें.

बैंक एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करता है ताकि ग्राहक शिकायतों को कुशलतापूर्वक पंजीकृत, सौंपना और एक निश्चित समय के भीतर उनका समाधान किया जा सके. सभी शिकायतें, चाहे वे किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई हों, इस प्रणाली में दर्ज की जाती हैं. इसमें त्वरित समाधान की सुविधा के लिए एक अंतर्निहित वृद्धि ढांचा शामिल है. यह प्रणाली प्रत्येक पंजीकृत शिकायत का एक विस्तृत लॉग भी रखती है, जो शिकायत के समाधान या अस्वीकार होने तक सभी घटनाओं पर नज़र रखती है.

2. उन सभी उत्पादों/ सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, उत्पादों और/ सेवाओं का टर्नओवर, जिनकी निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की गई है:

प्रकार	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	बैंक लगातार ग्राहकों को जागरूक करने के लिए पहल करता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देना और ग्राहकों को साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में शिक्षित करना है. इस अभियान में एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, इन-ब्रांच इंटरैक्शन और क्षेत्रीय ग्राहक जुड़ाव कार्यक्रमों सहित कई संचार प्लेटफार्मों का लाभ उठाया जाता है. बैंक ग्राहकों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने वाले प्रमुख सुरक्षा दिशा-निर्देश सहित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) बिन्दुओं पर आधार सक्षम भुगतान सेवा जैसी सेवाओं का उपयोग करने के बारे में भी शिक्षित करता है. सुरक्षित लेनदेन प्रथाओं के बारे में संदेश नियमित रूप से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्रबलित किए जाते हैं और उन्हें आशय पत्र और ऋण करार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल किया जाता है.
री-साइक्लिंग और/ अथवा सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. **उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :**

	वित्तीय वर्ष 2024-25		टिप्पणियाँ	वित्तीय वर्ष 2023-24		टिप्पणियाँ
	प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	4	शून्य	-	4	शून्य	-
विज्ञापन	1	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
साइबर सुरक्षा	4,505	14	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें	4,231	शून्य	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	766	2	डिलिवरेबल्स अर्थात एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि की प्राप्ति न होने से संबंधित शिकायतें	518	10	डिलिवरेबल्स अर्थात एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि की प्राप्ति न होने से संबंधित शिकायतें
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अनुचित व्यापार प्रथाएं	2	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अन्य-उपभोक्ता की शिकायतें	44,230	138	उपर्युक्त श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी शिकायतें	54,961	272	उपर्युक्त को छोड़कर सभी शिकायतें

4. **सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पाद को वापस लेने की घटनाओं का ब्योरा**

लागू नहीं

5. **क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता से संबंधित जोखिम के लिए कोई ढांचा/ नीति मौजूद है? (हाँ/ नहीं).यदि उपलब्ध है, तो कृपया नीति का वेबलिंक उपलब्ध कराएं.**

हां, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नीतियां लागू की है जो साइबर खतरों को कम करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है. ये नीतियां अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सूचना की गोपनीयता और अखंडता की रक्षा करती है, और वैध उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी संसाधनों की समय पर उपलब्धता की गारंटी देती है. सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) और साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) दोनों को बैंक के इंट्रानेट पर प्रकाशित किया जाता है, कर्मचारियों और हितधारकों को सूचित किया जाता है और समय-समय पर या महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर समीक्षा की जाती है.

ग्राहक डेटा और खाते की जानकारी को और अधिक सुरक्षित रखने के लिए, बैंक ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं. यह अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश और क्या करें और क्या न करें भी प्रदान करता है, जो ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने के बारे में व्यावहारिक सुझाव देता है. ये संसाधन निम्नलिखित लिंक (https://www.idbibank.in/dos-donts-banking.aspx) और (https://www.idbibank.in/information-security.aspx) के अंतर्गत उपलब्ध है.

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा, ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पादों को वापस लेने के उदाहरणों की पुनरावृत्ति से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाने / की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.**

विज्ञापन के संबंध में किसी विनियामक/ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है या की जा रही है. इसके अलावा, बैंक को साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता से संबंधित ऐसी किसी भी घटना का सामना नहीं करना पड़ा है. ऐसी कोई भी घटना होने पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. आईटी से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं और आईटी सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की सूचना बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) को दी जाती है.

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(क) डेटा उल्लंघन के मामलों की संख्या:

शून्य

(ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत.

लागू नहीं

(ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो.

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/ प्लैटफॉर्म्स जहां पर संस्था की योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध है, तो वेबलिंक प्रदान करें).

बैंक की योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है. बैंक की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर भी बैंक के पोस्ट उपलब्ध है, मुख्यतः

- फेसबुक (https (https://www.facebook.com/IDBIBank/)
- एक्स (https://x.com/idbi_bank)
- इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/idbibankofficial/)
- लिंक्ड इन (https://in.linkedin.com/company/idbi-bank)
- यूट्यूब (https://www.youtube.com/IDBIBANK

2. योजनाओं और/ अथवा सेवाओं का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने के लिए ग्राहकों को जानकारी प्रदान करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम.

बैंक नियमित रूप से ग्राहक जागरुकता अभियान चलाता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना और साइबर अपराध तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जागरुकता को बढ़ाना है. ये पहल एसएमएस/ ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक के वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैठकें और क्षेत्रीय ग्राहक बैठकें समेत विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करती हैं. इसके अतिरिक्त, शैक्षिक प्रयास बीसी बिंदुओं पर आधार समर्थित भुगतान सेवा जैसी सेवाओं के उपयोग को कवर करते हैं, साथ ही सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नोटिस बोर्ड पर क्या करें और क्या न करें प्रकाशित करते हैं. सुरक्षित लेन-देन के तरीकों पर शैक्षिक सामग्री को ईमेल और एसएमएस जैसे नियमित संचार के माध्यम से प्रबलित किया जाता है और आशय पत्र तथा ऋण करार जैसे प्रमुख दस्तावेजों में एकीकृत किया जाता है.

इसके अलावा, ग्राहकों को शिक्षित करने और उन्हें जिम्मेदारी से सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने समय-समय पर भेजे जाने वाले ऋण विवरण में ऋण खाते के अतिरिक्त विशिष्ट विवरण को शामिल करना शुरू कर दिया है जिसमें ऋण की प्रचलित ब्याज दर और अवशिष्ट अवधि शामिल है. इसके अलावा, बेंचमार्क दरों में उर्ध्वगामी संशोधन के कारण ब्याज दर में किसी भी बढ़ोतरी के परिदृश्य में, ग्राहकों को उपलब्ध विकल्पों के बारे में विधिवत सूचित किया जाता है ताकि वे मौजूदा ईएमआई को जारी रखने के लिए आंशिक भुगतान करने या ऋण चुकाने के लिए मौजूदा अवधि या अवधि को यथासंभव सीमा तक ईएमआई बढ़ाने या निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प चुन सकें. ग्राहकों के ऋण की शर्तों को प्रभावित करने वाली ब्याज दरों या सेवा प्रभार अनुसूची आदि में कोई भी संशोधन बैंक की वेबसाइट पर विधिवत होस्ट किया जाता है.

3. आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा उत्पन्न होने पर/ अनिरन्तरता की कोई जोखिम उत्पन्न होने पर ग्राहकों को जानकारी देने के लिए उपलब्ध तंत्र.

ग्राहकों को ईमेल, बैंक की वेबसाइट पर नोटिस, मोबाइल एप्लिकेशन बैनर, एसएमएस अलर्ट, कॉल आदि के माध्यम से सूचित किया जाता है. बैंक के पास अपनी सभी प्रक्रियाओं और स्थानों के लिए एक सुनियोजित व्यवसाय निरंतरता योजना है. किसी भी स्थान पर कोई खराबी आने की गंभीर स्थिति में ग्राहकों को निकटतम स्थानों पर निर्देशित किया जाता है और उनके लेनदेन को यथोचित रूप से पूरा किया जाता है.

4. क्या संस्था अनिवार्य स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पादों के बारे में जानकारी का अधिक और बढ़-चढ़ कर प्रदर्शन करती है?(हां/ नहीं/ लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें. क्या आपकी संस्था ने अपने प्रमुख योजनाओं/ सेवाओं, या संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण संस्था के बारे में ग्राहक संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/ नहीं)

बैंक के योजनाओं और सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है और विभिन्न ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर प्रदर्शित की जाती है. संपर्क बिंदुओं पर पूछताछ करके आगे की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है. इसके अतिरिक्त, योजनाओं और सेवाओं से संबंधित कोई भी अपडेट बैंक के ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किया जाता है. बैंक, विनियामक मानदंडों के अनुपालन में यह भी सुनिश्चित करता है कि बैंक की शाखाओं में विभिन्न सूचनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं, जिनमें उपलब्ध सेवाओं, सेवा प्रभार, ब्याज दरों और शिकायत निवारण तंत्र आदि का विवरण प्रदर्शित हो. इसके अलावा, बैंक ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनबोर्डिंग के समय लागू प्रभार, ब्याज दरों, निबंधन एवं शर्तें जैसी विस्तृत जानकारी सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा में साझा करता है.

रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, बैंक ग्राहक संतुष्टि (सी-सैट) सर्वेक्षण आयोजित करता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, बाह्य एजेंसी के साथ साझेदारी में फरवरी और मार्च 2025 के बीच सर्वेक्षण आयोजित किया गया था. सर्वेक्षण में कंप्यूटर-सहायक टेलीफोन साक्षात्कार (सीएटीआई) का उपयोग किया गया जिसमें बैंक के 15 अंचलों के 3,200 जवाब देयताओं को शामिल किया गया. इस पद्धति में सेवा की गुणवत्ता, संपर्क बिंदुओं, योजनओं और प्रक्रियाओं पर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) समग्र ग्राहक संतुष्टि को मापने के लिए मुख्य मेट्रिक के रूप में था.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (‘बैंक’) में निर्धारित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का निदेशक मंडल

1. हमने दिनांक 5 नवंबर 2024 के नियुक्ति पत्र के द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") के लिए नीचे सूचीबद्ध सहमत संधारणीयता सूचना ("निर्धारित संधारणीयता सूचना" या "बीआरएसआर कोर संकेतक") के संबंध में नीचे पैराग्राफ 4 में बताए गए मानदंडों के अनुसार एक उचित आश्वासन देने का कार्य किया है. यह संधारणीयता सूचना 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट ("बीआरएसआर" या "रिपोर्ट") में शामिल है, जिसे प्रबंधन द्वारा **दिनांक 10 मई 2021 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 और दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177** के अनुसार तैयार किया गया है. यह कार्य एश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स की एक टीम द्वारा किया गया था.

आश्वासन का दायरा

2. हमारे उचित आश्वासन के दायरे में हमारी रिपोर्ट के **अनुलग्नक अ** में सूचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता सूचना (‘‘आईएसआई’’) शामिल है. रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा खंड अ के प्रश्न 13 में बताई गई है: बीआरएसआर का सामान्य प्रकटीकरण, अपवादों, जहां लागू हो, को बीआरएसआर के संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत नोट के रूप में प्रकट किया गया है.

3. हमारा उचित आश्वासन कार्य केवल 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में था और हमने पहले की अवधि या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए, उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं.

रिपोर्टिंग मानदंड

4. निर्धारित संधारणीयता जानकारी तैयार करने के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त रिपोर्टिंग मानदंड का सारांश नीचे दिया गया है:

   क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (सेबी एलओडीआर), 2015 के विनियम 34(2) (एफ) यथा संशोधित;

   ख. सेबी **परिपत्र दिनांक 10 मई 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 और दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीएफ़डी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177** के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग आवश्यकताएं.

   ग. सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शी नोट.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. बैंक प्रबंधन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा सहित संधारणीयता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन या स्थापना करने, संधारणीयता सूचना पर रिपोर्टिंग से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, विषयवस्तु, मानदंडों के अनुसार संधारणीयता सूचना की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है.

6. इस जिम्मेदारी में बीआरएसआर की तैयारी और संधारणीयता सूचना के मापन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त है.

अंतर्निहित सीमाएँ

7. गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित अभ्यास के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है.

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

8. हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') और सेबी के परिपत्र **दिनांक 10 मई 2021 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 और दिनांक 20 दिसंबर 2024 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177** द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं और उसके स्पष्टीकरणों को पूरा करते हैं और इस आश्वासन कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव रखते हैं.

9. हम गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ''ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण लागू करते हैं'', और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखते हैं.

हमारी जिम्मेदारी

10. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर **अनुलग्नक-अ** में सूचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करें.

11. हमने अपना कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (''एसआरएसबी'') द्वारा जारी संधारणीयता आश्वासन कार्य मानक (एसएसएई) 3000, "संधारणीयता जानकारी पर आश्वासन कार्य'' और आश्वासन कार्य मानक (एसएई) 3410 ग्रीनहाउस गैस विवरणों पर आश्वासन कार्य (सामूहिक रूप से "मानक") दोनों के अनुसार किया है.

12. इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी कार्य योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या **अनुलग्नक अ** में सूचीबद्ध और रिपोर्ट में शामिल निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक मामलों में, ऊपर पैराग्राफ 4 के तहत बताए गए रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है.

13. मानकों के अनुरूप उचित आश्वासन कार्य के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा संपूर्ण कार्य के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं.

14. एक उचित आश्वासन कार्य में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण निर्धारित संधारणीयता जानकारी के तात्विक मिथ्यावर्णन के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकित जोखिमों का जवाब देना शामिल है.

15. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था.

16. उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के निष्पादन में, कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, हम:

    क. निर्धारित संधारणीयता जानकारी और संबन्धित प्रकटनों की समझ प्राप्त की ;

    ख. बैंक के प्रबंधन और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी वाले बैंक के संबंधित विभागों से पूछताछ की गई.

    ग. नमूने के आधार पर अंतर्निहित अभिलेखों के साथ निर्धारित संधारणीयता जानकारी को सहमत या समन्वित कर संधारणीयता जानकारी को एकत्रित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया.

    घ. निर्धारित संधारणीयता संकेतकों के नमूने के आधार पर मूल परीक्षण किया गया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को रिकॉर्ड अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ संकलित और रिपोर्ट कर उचित रूप से मापा गया था. इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था.

    ङ. कतिपय निर्धारित संधारणीयता जानकारी की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं, नियंत्रणों की समझ प्राप्त की, जिसके लिए वास्तविक डेटा पर विचार किया गया था अर्थात रिपोर्टिंग सीमा के अंतर्गत प्रधान कार्यालय और अन्य स्थान और सभी 15 अंचल कार्यालयों, बेलापुर में अपने कार्यालय, हैदराबाद में प्रशिक्षण कॉलेज और मुंबई में प्रधान कार्यालय के समेकन का परीक्षण किया ताकि रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके. इसमें प्रबंधन प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल नहीं था.

    च. ऐतिहासिक डेटा में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं तथा तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया गया.

छ. निर्धारित संधारणीयता जानकारी की तैयारी में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों की तर्कसंगतता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया. इसके अतिरिक्त, 20 दिसंबर 2024 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 के अनुपालन में कुछ संकेतकों के लिए 2128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की उपयुक्तता का भी सत्यापन किया गया.

ज. बैंक के प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए.

हमारा मानना है कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं वह हमारे उचित आश्वासन निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

अपवर्जन:

17. हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम इस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:

- "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित के अलावा बैंक के परिचालन.
- निर्धारित संधारणीयता जानकारी के अलावा बीआरएसआर और डेटा/जानकारी (गुणात्मक या मात्रात्मक) के पहलू.
- बीआरएसआर रिपोर्ट के नेतृत्व संकेतक खंड, या किसी अन्य स्वैच्छिक ईएसजी प्रकटीकरण के तहत किए गए प्रकटन;
- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, एकीकृत रिपोर्ट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, या अन्य सार्वजनिक फाइलिंग में शामिल डेटा या कथन, जब तक कि बीआरएसआर प्रमुख आवश्यक संकेतकों के तहत स्पष्ट रूप से संदर्भित न हों;
- निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 से बाहर का डेटा और जानकारी.
- बैंक द्वारा प्रदान किए गए विवरण जो अभिमत, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य अथवा भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं.

18. हमारा निष्कर्ष इस कार्य के दायरे में स्पष्ट रूप से परिभाषित विषय-वस्तु और समयावधि से परे किसी अन्य डेटा या जानकारी से संबंधित नहीं है, या उस आश्वासन प्रदान नहीं करता है.

अन्य जानकारी

19. अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में बीआरएसआर और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, निर्धारित संधारणीयता जानकारी और उस पर 18 जून 2025 की हमारी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट के अलावा.

20. निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर हमारा निष्कर्ष अन्य जानकारी को कवर नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं.

21. निर्धारित संधारणीयता जानकारी के बारे में हमारे आश्वासन के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी निर्धारित संधारणीयता जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है.

22. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

विशेष ध्यान वाले मुद्दे:

23. बैंक प्रधान कार्यालय, 2128 शाखाओं (एक अंतर्राष्ट्रिय शाखा सहित), ज्ञानार्जन केन्द्रों सहित अन्य 256 कार्यालयों से परिचालन करता है. निम्न उल्लिखित आवश्यक संकेतकों के लिए, जैसे:

क. ऊर्जा खपत से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 1

ख. जल खपत से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 3

ग. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 7 (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन)

बैंक ने सेबी द्वारा अधिसूचित कार्यप्रणाली के आधार पर 2128 शाखाओं और 256 कार्यालयों के लिए सूचना पर विचार किया है, जिसका विवरण संबंधित प्रकटनों के तहत दिया गया है.

घ. अपशिष्ट प्रबंधन-सूखे और गीले अपशिष्ट के संबंध में, से संबंधित आवश्यक संकेतक का सिद्धांत 6, प्रश्न 9 केवल 5 स्थानों अर्थात बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसके कार्यालय, अहमदाबाद, भोपाल और नागपुर में अंचल कार्यालय के लिए जानकारी प्रदान की गई है. 2128 शाखाओं, 251 कार्यालयों (12 अंचल कार्यालयों सहित) की जानकारी पर इस संकेतक के लिए विचार नहीं किया गया है.

24. जैसा कि बीआरएसआर के अनुभाग ग के 'सिद्धांत 6 : ''कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे बचाने तथा संरक्षित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए'' की टिप्पणियों में उल्लिखित है - आवश्यक संकेतक 4 ''जल निर्वहन से संबंधित विवरण'', बैंक ने निर्दिष्ट किया है कि बैंक के प्रधान कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों/शाखाओं में प्रवाह मीटर की अनुपलब्धता के कारण जल निर्वहन को मापा नहीं जाता है और इसके अतिरिक्त, चूंकि जल निर्वहन का अनुमान लगाने के लिए कोई मानकीकृत दिशानिर्देश नहीं हैं, इसलिए बैंक जल निर्वहन का अनुमान लगाने में असमर्थ है.

25. जैसा कि बीआरएसआर के अनुभाग ग के सिद्धांत 8 : ''कारोबारों को समवेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए'' - आवश्यक संकेतक 4 ''आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य में कुल इनपुट में इनपुट) और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(सी)(IV) की टिप्पणियों में उल्लिखित है, बैंक एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पूरी सूची की पहचान करने और प्रकटन के उद्देश्य से संबंधित जानकारी को समेकित करने की प्रक्रिया में है.

हालाँकि, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के खंड ग के प्रासंगिक सिद्धांतों में बताया गया है, बैंक के कारोबार के पैमाने को देखते हुए शेष राशि/अनुपात महत्वपूर्ण नहीं हैं.

पैरा 21 से 23 में वर्णित मामलों में हमारा आश्वासन संशोधित नहीं है.

उचित आश्वासन निष्कर्ष

26. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा यह मत है कि **अनुबंध-अ** में उल्लिखित निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक पहलुओं में, ऊपर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार उचित रूप से प्रस्तुत की गई है.

उपयोग पर प्रतिबंध:

27. इस रिपोर्ट के संबंध में हमारे दायित्व पूरी तरह से अलग हैं, तथा हमारी जिम्मेदारी और देयता किसी भी तरह से बैंक के लेखा परीक्षक के रूप में या अन्यथा हमारी किसी भी अन्य भूमिका से नहीं बदलती है. इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं और न ही इस रिपोर्ट के विषय में सेवाओं के संबंध में कही या कार्य के दौरान की गई या उसके संबंध में कोई बात, बैंक के लेखा परीक्षक के रूप में हमारी क्षमता में सावधानी बरतने के किसी कर्तव्य को आगे बढ़ाएगी.

28. बैंक के अनुरोध पर, हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट बनाई गई है और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है जो केवल बैंक को बैंक के संधारणीय प्रदर्शन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता के लिए है. तद्नुसार, हम बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति कोई देयता स्वीकार नहीं करते हैं. हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट किसी अन्य उद्देश्य या हमारे रिपोर्ट के संबोधितों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं की जानी चाहिए. हम हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य पक्ष को दिखाए गए हमारे प्रदेयों या इसके उनके हाथों में आने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सावधानी के कर्तव्य या देयता न तो स्वीकार करते है और न ही मानते हैं.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन -101872W/100045

हार्दिक यमपट
साझेदार
सदस्यता सं. 194467
यूडीआईएन : 25194467BMLLDZ9614

स्थानः मुंबई
दिनांकः 18 जून 2025

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन - 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यूडीआईएनः25223118BMJLGO4468

स्थानः मुंबई
दिनांकः 18 जून 2025

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') में निर्धारित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुबंध अ

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 6 : कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा तथा बहाल करने का प्रयास करना चाहिए		
विशेषता 1: ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट		
पी6 क्यू7	प्रश्न 7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) का विवरण और इसकी तीव्रता:	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 23, भी देखें
	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	
	कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	
	प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
विशेषता 2: जल फुटप्रिंट		
पी6 क्यू3	जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटनों का विवरण:	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 23, भी देखें
	स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)	
	जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर में जल तीव्रता (कुल जल खपत/ परिचालन से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार पर जल तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में जल की तीव्रता	
पी6 क्यू4	जल निर्वहन से संबंधित विवरण :	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 24, भी देखें
	गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)	
	कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	
विशेषता 3: ऊर्जा फुटप्रिंट		
पी6 क्यू1	कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा गुणकों में) और ऊर्जा का तीव्रता विवरण:	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 23, भी देखें
	नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
विशेषता 4: चक्रीयता को अपनाना - संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण		
पी6 क्यू9	संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 23, भी देखें
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य रिकवरी परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
विशेषता 5: कर्मचारी भलाई और सुरक्षा को बढ़ाना		
पी3 क्यू1 (सी)	कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और अस्थायी सहित) की भलाई हेतु उपायों पर व्यय: कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में भलाई उपायों पर व्यय	उचित आश्वासन
पी3 क्यू11	कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:	
	खोया समय क्षति आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे कार्य)	
	कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	
	मृतकों की संख्या	
	उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	
सिद्धांत 5: कारोबारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए		
विशेषता 6: व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना		
पी5 क्यू3 (बी)	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी	उचित आश्वासन
पी5 क्यू7	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें	उचित आश्वासन
	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	
	महिला कर्मचारियों/कामगारों का प्रतिशत के रूप में पॉश शिकायतें	
	पॉश शिकायतें सही पाई गईं	
सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए		
विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना		
पी8 क्यू4	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्रोत इन्पुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इन्पुट में इन्पुट) : क. एमएसएमई/लघु उत्पादकों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ख. भारत के भीतर से प्रत्यक्ष रूप से	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 25 भी देखें
पी8 क्यू5	छोटे शहरों में रोजगार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी, कुल मजदूरी लागत के % के रूप में बताएं.	उचित आश्वासन

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उनका जिम्मेदार तरीके से सम्मान करना चाहिए		
विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता		
पी9 क्यू7	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	उचित आश्वासन
सिद्धांत 1: कारोबार को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सत्यनिष्ठा के साथ संचालित और नियंत्रित करना चाहिए.		
विशेषता 9: कारोबार में खुलापन		
पी1 क्यू8	देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/ सेवाओं की लागत)	उचित आश्वासन
पी1 क्यू9	संबद्ध पक्षों से ऋण और अग्रिम एवं निवेश के साथ-साथ ट्रेडिंग घरानों, डीलरों, और संबद्ध पक्षों से खरीद और बिक्री संकेन्द्रण का विवरण :	उचित आश्वासन
	खरीद संकेन्द्रण	
	बिक्री संकेन्द्रण	
	निम्न में आरपीटी का हिस्सा	
	क. खरीद (संबद्ध पक्षों के साथ खरीद / कुल खरीद) ख. बिक्री (संबद्ध पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री) ग. ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम) घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल किया गया निवेश)	

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन -101872W/100045

हार्दिक यमपट
साझेदार
सदस्यता सं. 194467
यूडीआईएन : 25194467BMLLDZ9614

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 जून 2025

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन - 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यूडीआईएन:25223118BMJLGO4468

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18 जून 2025